





COLLOQUIUM ON COMMITMENT OF STATE FOR CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION

on 23rd August, 2015 (Sunday) at 10:00 a.m. at Chanakya BNR, Ranchi

READING MATERIAL

"Child protection, a primary responsibility of family, Community, Government and Civil society"

Organized by

JHARKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY (JHALSA)
Dept. of Social Welfare, Women & Child Development, Govt. of Jharkhand

UNICEF







READING MATERIAL

COLLOQUIUM ON COMMITMENT OF STATE FOR CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION

Date: 23rd August, 2015 (Sunday) Venue: Chanakya BNR, Ranchi

Organized by

Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA)
Dept. of Social Welfare, Women & Child Development, Govt. of Jharkhand
&
UNICEF, Jharkhand

This Reading Material is also available on the official website of JHALSA "www.jhalsa.org"

TABLE OF CONTENTS

SE	ECTION - I
	ompendium on Protection of Children & Rehabilitation
wi	th focus on alternative family based care1-144
•	National Child Policy 2013
•	Standard Operating Procedure for Inter State/District Transfer of CNCP (MWCD)
•	Adoption Guidelines (Hindi & English)
•	UN guidelines on alternative family care
•	Child friendly Police Station
•	Relevant Instructions in field of Justice for Children
•	Section II- Integrated Child Protection Scheme
	ECTION - II
In	tegrated Child Protection Scheme145-174
•	Revised Integrated Child Protection Scheme
•	MOU – Government of Jharkhand and Ministry of Women and Child Development
•	Circulars from Ministry
•	Guidelines for sponsorship of children (MWCD)
	ECTION - III
Re	elevant Case Laws & Judgments175-258
SE	ECTION - IV
Ch	nild Protection Directory259-282
•	Name and contact no. of District Social Welfare Officers
•	List of Special Juvenile Police Unit nodal Officers
•	List of Child Welfare Officers
•	List of Juvenile Justice Board
•	List of Child Welfare Committees
•	List of District Child Protection Officers
۸ ۱	DDENIDIV 202 200

SECTION - I

COMPENDIUM ON PROTECTION OF CHILDREN & REHABILITATION WITH FOCUS ON ALTERNATIVE FAMILY BASED CARE

(To be published in the Gazette of India, Part I, Section 1)

No. 16-1/2012-CW-I

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Women and Child Development

New Delhi, the 26th April 2013

RESOLUTION

The Government of India have had under consideration a National Policy for Children to reiterate the commitment to the rights based approach for children. After due consideration and approval, the National Policy for Children, 2013 is hereby adopted.

(Dr. Vivek Joshi)

Vivel Josh

Joint Secretary to the Government of India

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice-President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office and the Planning Commission.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

(Dr. Vivek Joshi)

Vivet Joshi

Joint Secretary to the Government of India

To The Manager, Government of India Press, (Bharat Sarkar Press) FARIDABAD

The National Policy for Children, 2013

1. Introduction

- 1.1. India is home to the largest child population in the world. The Constitution of India guarantees Fundamental Rights to all children in the country and empowers the State to make special provisions for children. The Directive Principles of State Policy specifically guide the State in securing the tender age of children from abuse and ensuring that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner in conditions of freedom and dignity. The State is responsible for ensuring that childhood is protected from exploitation and moral and material abandonment.
- 1.2 Declaring its children as the nation's "supremely important asset" in the National Policy for Children, 1974, the Government of India reiterated its commitment to secure the rights of its children by ratifying related international conventions and treaties. These include the Declaration of the Rights of the Child, Universal Declaration of Human Rights and its Covenants, the Convention on the Rights of the Child and its two Optional Protocols, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Women and Children, the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Inter-Country Adoption, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
- 1.3 The National Policy for Children, 1974 recognised that programmes for children should find prominent place in national plans for the development of human resources, so that children grow up to become robust citizens, physically fit, mentally alert and morally healthy, endowed with the skills and motivations provided by society. The Policy also laid emphasis on equal opportunities for the development of all children during the period of growth.
- 1.4 The National Charter for Children, 2003 adopted on 9th February 2004, underlined the intent to secure for every child its inherent right to be a child and enjoy a healthy and happy childhood, to address the root causes that negate the healthy growth and development of children, and to awaken the conscience of the community in the wider societal context to protect children from all forms of abuse, while strengthening the family, society and the Nation.
- 1.5 To affirm the Government's commitment to the rights based approach in addressing the continuing and emerging challenges in the situation of children, the Government of India hereby adopts this Resolution on the National Policy for Children, 2013.

2. Preamble

- 2.1 Recognising that:
 - a child is any person below the age of eighteen years;
 - childhood is an integral part of life with a value of its own;
 - children are not a homogenous group and their different needs need different responses, especially the multi-dimensional vulnerabilities experienced by children in different circumstances;

 a long term, sustainable, multi-sectoral, integrated and inclusive approach is necessary for the overall and harmonious development and protection of children;

2.2 Reaffirming that:

- every child is unique and a supremely important national asset;
- special measures and affirmative action are required to diminish or eliminate conditions that cause discrimination.
- all children have the right to grow in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding;
- families are to be supported by a strong social safety net in caring for and nurturing their children;

the Government of India reiterates its commitment to safeguard, inform, include, support and empower all children within its territory and jurisdiction, both in their individual situation and as a national asset. The State is committed to take affirmative measures – legislative, policy or otherwise – to promote and safeguard the right of all children to live and grow with equity, dignity, security and freedom, especially those marginalised or disadvantaged; to ensure that all children have equal opportunities; and that no custom, tradition, cultural or religious practice is allowed to violate or restrict or prevent children from enjoying their rights.

2.3 This Policy is to guide and inform all laws, policies, plans and programmes affecting children. All actions and initiatives of the national, state and local government in all sectors must respect and uphold the principles and provisions of this Policy.

3. Guiding Principles

- (i) every child has universal, inalienable and indivisible human rights
- (ii) the rights of children are interrelated and interdependent, and each one of them is equally important and fundamental to the well-being and dignity of the child
- (iii) every child has the right to life, survival, development, education, protection and participation
- (iv) right to life, survival and development goes beyond the physical existence of the child and also encompasses the right to identity and nationality
- (v) mental, emotional, cognitive, social and cultural development of the child is to be addressed in totality
- (vi) all children have equal rights and no child shall be discriminated against on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, class, language, and disability, social, economic or any other status
- (vii) the best interest of the child is a primary concern in all decisions and actions affecting the child, whether taken by legislative bodies, courts of law, administrative authorities, public, private, social, religious or cultural institutions
- (viii) family or family environment is most conducive for the all-round development of children and they are not to be separated from their parents, except where such separation is necessary in their best interest;
- (ix) every child has the right to a dignified life, free from exploitation

- (x) safety and security of all children is integral to their well-being and children are to be protected from all forms of harm, abuse, neglect, violence, maltreatment and exploitation in all settings including care institutions, schools, hospitals, crèches, families and communities
- (xi) children are capable of forming views and must be provided a conducive environment and the opportunity to express their views in any way they are able to communicate, in matters affecting them
- (xii) children's views, especially those of girls, children from disadvantaged groups and marginalised communities, are to be heard in all matters affecting them, in particular judicial and administrative proceedings and interactions, and their views given due consideration in accordance with their age, maturity and evolving capacities

4. Key Priorities

Survival, health, nutrition, development, education, protection and participation are the undeniable rights of every child and are the key priorities of this Policy.

Survival, Health and Nutrition

- 4.1 The right to life, survival, health and nutrition is an inalienable right of every child and will receive the highest priority.
- 4.2 The State stands committed to ensure equitable access to comprehensive, and essential, preventive, promotive, curative and rehabilitative health care, of the highest standard, for all children before, during and after birth, and throughout the period of their growth and development.
- 4.3 Every child has a right to adequate nutrition and to be safeguarded against hunger, deprivation and malnutrition. The State commits to securing this right for all children through access, provision and promotion of required services and supports for holistic nurturing, wellbeing with nutritive attainment of all children, keeping in view their individual needs at different stages of life in a life cycle approach.
- 4.4 The State shall take all necessary measures to:
 - (i) Improve maternal health care, including antenatal care, safe delivery by skilled health personnel, post natal care and nutritional support
 - (ii) Provide universal access to information and services for making informed choices related to birth and spacing of children
 - (iii) Secure the right of the girl child to life, survival, health and nutrition
 - (iv) Address key causes and determinants of child mortality through interventions based on continuum of care, with emphasis on nutrition, safe drinking water sanitation and health education
 - (v) Encourage focused behaviour change communication efforts to improve new born and childcare practices at the household and community level
 - (vi) Provide universal and affordable access to services for prevention, treatment, care and management of neo-natal and childhood illnesses and protect children from all water borne, vector borne, blood borne, communicable and other childhood diseases
 - (vii) Prevent disabilities, both mental and physical, through timely measures for pre-natal, peri-natal and post-natal health and nutrition care of mother

- and child, provide services for early detection, treatment and management, including interventions to minimise and prevent further disabilities, prevent discrimination faced by children with disabilities (mental and physical), and provide services for rehabilitation and social support
- (viii) Ensure availability of essential services, supports and provisions for nutritive attainment in a life cycle approach, including infant and young child feeding (IYCF) practices, special focus on adolescent girls and other vulnerable groups, and special measures for the health, care and nutrition, including nutrition education, of expectant and nursing mothers
- (ix) Provide adolescents access to information, support and services essential for their health and development, including information and support on appropriate life style and healthy choices and awareness on the ill effects of alcohol and substance abuse
- (x) Prevent HIV infections at birth and ensure infected children receive medical treatment, adequate nutrition and after-care, and are not discriminated against in accessing their rights
- (xi) Ensure that only child safe products and services are available in the country and put in place mechanisms to enforce safety standards for products and services designed for children
- (xii) Provide adequate safeguards and measures against false claims relating to growth, development and nutrition

Education and Development

- 4.5 Every child has equal right to learning, knowledge and education. The State recognises its responsibility to secure this right for every child, with due regard for special needs, through access, provision and promotion of required environment, information, infrastructure, services and supports, towards the development of the child's fullest potential.
- 4.6 The State shall take all necessary measures to:
 - (i) Provide universal and equitable access to quality Early Childhood Care and Education (ECCE) for optimal development and active learning capacity of all children below six years of age
 - (ii) Ensure that every child in the age group of 6-14 years is in school and enjoys the fundamental right to education as enshrined in the Constitution
 - (iii) Promote affordable and accessible quality education up to the secondary level for all children
 - (iv) Foster and support inter sectoral networks and linkages to provide vocational training options including comprehensively addressing age-specific and gender-specific issues of childrens' career choices through career counseling and vocational guidance
 - (v) Ensure that all out of school children such as child labourers, migrant children, trafficked children, children of migrant labour, street children, child victims of alcohol and substance abuse, children in areas of civil unrest, orphans, children with disability (mental and physical), children with chronic ailments, married children, children of manual scavengers, children of sex workers, children of

- prisoners, etc. are tracked, rescued, rehabilitated and have access to their right to education
- (vi) Address discrimination of all forms in schools and foster equal opportunity, treatment and participation irrespective of place of birth, sex, religion, disability, language, region, caste, health, social, economic or any other status
- (vii) Prioritise education for disadvantaged groups by creating enabling environment through necessary legislative measures, policy and provisions
- (viii) Ensure physical safety of the child and provide safe and secure learning environment
- (ix) Ensure that all processes of teaching and learning are child friendly
- (x) Ensure formulation and practice of pedagogy that engages and delights children, with a special focus on mental health, from a social and gender just, life skills and age appropriate perspective
- (xi) Provide access to ICT tools for equitable, inclusive and affordable education for all children especially in remote, tribal and hard to reach areas
- (xii) Promote safe and enjoyable engagement of children's experiences with new technology in accordance with their age and level of maturity, even as there is respect for their own culture and roots
- (xiii) Review, develop and sustain age-specific initiatives, services and programmes for safe spaces for play, sports, recreation, leisure, cultural and scientific activities for children in neighbourhoods, schools and other institutions
- (xiv) Enable children to develop holistically, bringing out their aspirations, with focus on their strengths, empowering them to take control of their lives, bodies and behaviours
- (xv) Ensure no child is subjected to any physical punishment or mental harassment. Promote positive engagement to impart discipline so as to provide children with a good learning experience
- (xvi) Ensure that children's health is regularly monitored through the school health programme and arrangements are made for health and emergency care of children
- (xvii) Provide services to children with special needs in regular schools and ensure that these are inclusive and have all facilities such as trained teachers and special educators, appropriate pedagogy and education material, barrier-free access for mobility, functional toilets and co- curricular activities towards the development of child's fullest potential and autonomy and sense of dignity and self worth.
- (xviii) Promote engagement of families and communities with schools for all round development of children, with emphasis on good health, hygiene and sanitation practices, including sensitization on ill-effects of alcohol and substance abuse
- (xix) Facilitate concerted efforts by local governments, non-governmental organisations/community based organisations to map gaps in availability of educational services, especially in backward, child labour intensive areas, areas of civil unrest, and in situations of emergency, and efforts for addressing them

- (xx) Identify, encourage and assist gifted children, particularly those belonging to the disadvantaged groups, through special programmes
- (xxi) Provide and promote crèche and day care facilities for children of working mothers, mothers belonging to poor families, ailing mothers and single parents
- (xxii) Promote appropriate baby feeding facilities in public places and at workplaces for working mothers in public, private and unorganized sector

Protection

- 4.7 A safe, secure and protective environment is a precondition for the realisation of all other rights of children. Children have the right to be protected wherever they are.
- 4.8 The State shall create a caring, protective and safe environment for all children, to reduce their vulnerability in all situations and to keep them safe at all places, especially public spaces.
- 4.9 The State shall protect all children from all forms of violence and abuse, harm, neglect, stigma, discrimination, deprivation, exploitation including economic exploitation and sexual exploitation, abandonment, separation, abduction, sale or trafficking for any purpose or in any form, pornography, alcohol and substance abuse, or any other activity that takes undue advantage of them, or harms their personhood or affects their development.
- 4.10 To secure the rights of children temporarily or permanently deprived of parental care, the State shall endeavour to ensure family and community-based care arrangements including sponsorship, kinship, foster care and adoption, with institutionalisation as a measure of last resort, with due regard to the best interests of the child and guaranteeing quality standards of care and protection.
- 4.11 The State commits to taking special protection measures to secure the rights and entitlements of children in need of special protection, characterised by their specific social, economic and geo-political situations, including their need for rehabilitation and reintegration, in particular but not limited to, children affected by migration, displacement, communal or sectarian violence, civil unrest, disasters and calamities, street children, children of sex workers, children forced into commercial sexual exploitation, abused and exploited children, children forced into begging, children in conflict and contact with the law, children in situations of labour, children of prisoners, children infected/affected by HIV/AIDS, children with disabilities, children affected by alcohol and substance abuse, children of manual scavengers and children from any other socially excluded group, children affected by armed conflict and any other category of children requiring care and protection.
- 4.12 The State shall promote child friendly jurisprudence, enact progressive legislation, build a preventive and responsive child protection system, including emergency outreach services, and promote effective enforcement of punitive legislative and administrative measures against all forms of child abuse and neglect to comprehensively address issues related to child protection.
- 4.13 The State shall promote and strengthen legislative, administrative and institutional redressal mechanisms at the National and State level for the protection of child rights. For local grievances, effective and accessible grievance redressal mechanisms shall be developed at the programme level.

Participation

- 4.14 The State has the primary responsibility to ensure that children are made aware of their rights, and provided with an enabling environment, opportunities and support to develop skills, to form aspirations and express their views in accordance with their age, level of maturity and evolving capacities, so as to enable them to be actively involved in their own development and in all matters concerning and affecting them.
- 4.15 The State shall promote and strengthen respect for the views of the child, especially those of the girl child, children with disabilities and of children from minority groups or marginalised communities, within the family; community; schools and institutions; different levels of governance; as well as in judicial and administrative proceedings that concern them.
- 4.16 The State shall engage all stakeholders in developing mechanisms for children to share their grievances without fear in all settings; monitor effective implementation of children's participation through monitorable indicators; develop different models of child participation; and undertake research and documentation of best practices.

5. Advocacy and Partnerships

- 5.1 The State shall encourage the active involvement, participation and collective action of stakeholders such as individuals, families, local communities, non- governmental organisations, civil society organisations, media and private sector including government in securing the rights of the child.
- 5.2 The State shall make planned, coordinated and concerted efforts to raise public awareness on child rights and entitlements amongst the parents and caregivers/guardians as well as functionaries and duty bearers. All stakeholders are to promote the use of rights-based and equity-focused strategies, platforms, programmes, communications and other tools to generate awareness on child rights and the commitment to their achievement.
- 5.3 This Policy is to be given wide publicity and supported by focused advocacy measures to ensure that children's best interests and rights are accorded the highest priority in areas of policy, planning, resource allocation, governance, monitoring and evaluation, and children's voices and views are heard in all matters and actions which impact their lives.
- 5.4 The State shall ensure that service delivery and justice delivery mechanisms and structures are participatory, responsive and child-sensitive, thereby enhancing transparency and ensuring public accountability. Synergistic linkages will be created with other progressive and successful experiments to learn from best practices across regions.

6. Coordination, Action and Monitoring

- 6.1 Addressing the rights and needs of children requires programming across different sectors and integrating their impact on the child in a synergistic way. Rights based approach to survival, development and protection calls for conscious, convergent and collateral linkages among different sectors and settings, with indicators for tracking progress.
- 6.2 Community and local governance play a significant role in ensuring the child's optimum development and social integration. Ensuring coordination among Central

Government Ministries/Departments, between Central and State Governments, between different levels of governance and between government and civil society is crucial for effective implementation of this Policy.

- 6.3. The Ministry of Women and Child Development (MWCD) will be the nodal Ministry for overseeing and coordinating the implementation of this Policy. A National Coordination and Action Group (NCAG) for Children under the Minister in charge of the Ministry of Women and Child Development will monitor the progress with other concerned Ministries as its members. Similar Coordination and Actions Groups will be formed at the State and District level.
- 6.4. The Ministry of Women and Child Development, in consultation with all related Ministries and Departments, will formulate a National Plan of Action for Children. Similar Plans at the State, District and local level will be formulated to ensure action on the provisions of this Policy. The National, State and District Coordination and Action Groups will monitor the progress of implementation under these Plans.
- 6.5 The National Commission for Protection of Child Rights and State Commissions for Protection of Child Rights will ensure that the principles of this Policy are respected in all sectors at all levels in formulating laws, policies and programmes affecting children.

7. Research, Documentation and Capacity Building

- 7.1 The implementation of this Policy will be supported by a comprehensive and reliable knowledge base on all aspects of the status and condition of children. Establishing such a knowledge base would be enabled through child focused research and documentation, both quantitative as well as qualitative. A continuous process of indicator-based child impact assessment and evaluation will be developed, and assessment and evaluation will be carried out on the situation of children in the country, which will inform policies and programmes for children.
- 7.2 Professional and technical competence and capability in all aspects of programming, managing, working and caring for children at all levels in all sectors will be ensured through appropriate selection and well planned capacity development initiatives. All duty bearers working with children will be sensitised and oriented on child rights and held accountable for their acts of omission and commission.

8. Resource Allocation

- 8.1 The State commits to allocate the required financial, material and human resources, and their efficient and effective use, with transparency and accountability, to implement this Policy.
- 8.2 Child budgeting will track allocation and utilisation of resources and their impact on outcomes for children with regard to budgets and expenditures on children by all related Ministries and Departments.

9. Review of Policy

9.1 A comprehensive review of this Policy will be taken up once in five years in consultation with all stakeholders, including children. The Ministry of Women and Child Development will lead the review process.



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FOR INTER – STATE/DISTRICT TRANSFER OF CHILDREN IN NEED OF CARE & PROTECTION

SECTION A

1. INTRODUCTION

- (a) This SOP has been formulated to take care of situations when a child in need of care and protection belonging to a State or district other than where he/she was rescued/ found requires to be transferred and to clarify roles of all concerned and procedures in the process of such transfer across districts/States.
- (b) The procedures detailed in this document are based on guidelines and standards, provided in:
 - The Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2000 and Amendment Act 2006 (JJ Act)
 - The Juvenile Justice (Care and Protection) Rules, 2007 / Central Model Rules, 2007
 - The Integrated Child Protection Scheme (ICPS)

2. OBJECTIVES

- (a) To ensure that a child is restored back safely to family or a familiar surrounding across districts / States
- (b) To clarify roles and procedures involved in such restoration
- (c) To put in place processes of transfer and rehabilitation, whereby the best interest of the child and his/her views are given paramount consideration

3. GUIDING PRINCIPLES

The SOP is based on the following principles:

- (a) A loving and caring family is the best place for the child.
- (b) The child has the right to be consulted and to have his/her opinion taken into account in any matter or procedure affecting him/her, in accordance with age and level of development.
- (c) Child protection is the primary responsibility of family, supported by community, government and civil society.
- (d) Institutionalisation of children should be a temporary measure and used only after all other options for rehabilitation and reintegration has been explored.

SECTION B: RELEVANT PROVISIONS IN JJ ACT & RULES AND ICPS FOR TRANSFER

- 1. IJ ACT: Sections -
 - (a) 38: Transfer

- (b) 50: Sending a juvenile or child outside jurisdiction
- (c) 56: Power of competent authority to discharge and transfer juvenile or child
- (d) 57: Transfer between children's homes, under the Act, and juvenile homes of like nature in different parts of India
- 2. JJ CENTRAL MODEL RULES, 2007: Rules -
 - (a) 65: Restoration and follow up
 - (b) 78: Transfer
 - (c) 79: Procedure for sending a juvenile or child outside the jurisdiction of a competent authority
 - (d) 81(g): Role of District Child Protection Unit in transfer of children

3. ICPS: SCHEME ANNEXURES:

- (a) I Guidelines for Extending Emergency outreach services through Childline (functions of support organisations & district sub centres: both support organisations in the urban model and district sub centres in the rural model of childline services, are to follow up on cases referred by a collaborative organization/those children who have been restored to their families in villages.
- (b) II Guidelines for Open Shelters for Children in need in Urban and Semi-Urban areas: objectives of Open Shelters are reintegration of these children into families, alternative care and community and regular follow up to ensure that children do not return to vulnerable situations.
- (c) III Guidelines for family based non-institutional care through Sponsorship, Foster care, Adoption and After Care: to rehabilitate orphaned, abandoned and surrendered children in a family environment, prevent children from becoming destitute/ vulnerable and to restore children kept within institutions for economic reasons, to their families.
- (d) VII + Chapter IV- District Child Protection Unit/Society (1.3/v): functions of DCPU; including supporting CWC for inquiry and restoration of children.
- (e) XIII (section 7) Minimum standards of care for institutions under the JJ Act, Amendment Act & ICPS.

SECTION C: TRANSFER OF CHILDREN

- 1. There are four kinds of transfers being focused on in this document:
 - (a) Transfer of a child to another district within the state (Inter-district transfer)
 - (b) Transfer of a child to another state (Inter-state transfer) (c) Inter-country transfer: Repatriation
 - (d) Transfer of a child from one child care institution to another within the district
- 2. Situations under which transfer is to be considered: The CWC can consider transfer of a child in the following situations:
 - (a) The family of the child has been traced and is willing and capable of taking care of the child

- (b) It is in the best interest of the child and brings her/him closer to her/his natural place of stay or other siblings
- (c) The child requires specialized services such as adoption or has special needs and the home/facility that the child is being transferred to, is better equipped to provide services for the same.
- 3. Transfer should not be considered only because:
 - (a) The child has created problems or is difficult to manage in the existing institution
 - (b) Is suffering from chronic or terminal illness (unless the transfer is required for better treatment of the disease.)
 - (c) Has become physically or mentally affected /handicapped (unless the transfer is to a Home better equipped to handle such situations).
- 4. No child shall be transferred until:
 - (a) The child has been suitably informed, counseled, prepared and convinced regarding the return to the home district. If the child expresses unwillingness, effort has to be taken to understand why this is so. The child should not be transferred until counseling/orientation about the proposed shift has been satisfactorily completed and the child's informed consent has been given.
 - (b) The process of evidence giving and cross examination for a legal proceeding involving the child has been completed.

5. General Instructions:

- (a) If a child is to be transferred from one district to another district in the same or another State, the child must be handed over to the CWC of the child's home district in case of transfer within the State. In case of inter-State transfer, the child may be handed over to the CWC of the home district of the child, if convenient, otherwise to the capital city of the home State. This is to ensure that the child remains under the protective net of the CWC and appropriate decisions are taken keeping child's best interest in mind once the child arrives in her/his home district/State.
- (b) Once the child has consented/agreed to the transfer, it should be ensured that the transfer be effected in the minimum possible time.
- (c) It is important that the CWCs, both sending and in the Home district/State, record their orders and the reasons for giving the order in a systematic and detailed manner in the Roznama/Daily diary. These orders should be signed by at least two members including the Chairperson.
- (d) CWCs should ensure that all the other records and documents are also maintained, with the case docket of the child, by the Probation Officer/Social Welfare Officer/representative of DCPU, in the centralised records of the CWCs and copies of the same should be available with the respective District Child Protection Units.

SECTION D: STEPS IN TRANSFER

- 1. TRANSFER OF A CHILD TO ANOTHER DISTRICT WITHIN THE STATE
 - 1.1. Procedure to be followed by sending CWC

- (a) After discussion with the child, the final report of the Probationary Officer/Child Welfare Officers/ concerned officer from the DCPU (PO/CWO/) detailing whereabouts of child's family or probable address etc. and recommending transfer is placed before the CWC.
- (b) The CWC will talk to the child to verify details provided and also to ascertain the child's willingness to return to the Home district. If the child expresses any reservations, the CWC should direct PO/CWO/staff of DCPU that the child be given more time and counseling, to help in clarifying any issues that the child may have regarding the return.
- (c) If the child expresses willingness for the transfer:
 - The CWC in the Home district is to be contacted for inquiry into and confirmation of the address / details given by the child. The telephone numbers of CWCs of other districts are to be made available by the District Child Protection Unit, for the CWC and the Superintendent of the Home
 - The CWC will send the case details of the child to the CWC in the home district through the DCPU
 - The sending CWC should request the Home district CWC to reply within 15 days of receiving the information, so that there is no unnecessary delay for the child.
- (d) Once the CWC in the Home district confirms that the address / details given by the child have been verified/ located, the sending CWC shall prepare a detailed transfer order in the format prescribed in the JJ Act, duly signed by two members.
- (e) The CWC should give an escort order to SJPU to undertake the escort within 15 days. A copy of this order shall also be given to the superintendent of the home where the child is currently placed. A girl child will have to be accompanied by a woman officer.
- (f) Where SJPU is not available, as a last resort, the CWC may direct the Staff of the Home/or staff of DCPU/ DWCD to accompany the child to her/his home district.
- (g) Until the escort is made available, the child will remain in the Shelter Home/Children's Home in safe custody.
- (h) Expenditure for travel etc. shall be borne by the DCPU of the sending district. (i) Documents that have to be sent along with the child would include:
 - Age documents
 - Belongings of the child
 - Medical report
 - Educational records
 - Copy of the case file, including final report of the PO/CWO/staff of DCPU, and any other documents such as the Individual care plan, if already prepared
 - Certificates of participation in different trainings, competitions, technical courses

- (j) In the case of children rescued from labour, the labour department must be involved in the rescue and production of the child has to be done before the CWC. The CWC must direct the Labour Department to furnish a Rescue Certificate and this is to be transferred along with the other documents at the time of restoration of the child.
- (k) For a child rescued from trafficking for Commercial sexual exploitation: If the child is a foreigner, it would be necessary for the child to be produced before the JJB too, which must declare the child as a victim and in need of care and protection. The DCPU shall inform the State Government and Superintendent of police, District Intelligence Branch/Deputy Commissioner, Special Branch, so that the process of family tracing can begin.
- 1.2 Procedure to be followed by Receiving CWC/CWC in Home District:
 - (a) On receiving the request for verification of child's details by the sending CWC, the CWC in the home district would verify that the child belongs to that district and communicate the same to the sending CWC within 15 days.
 - (b) The home district CWC shall make preparations to receive the child, including a safe place for the child to stay in for a short period.
 - (c) Once the child is received by the CWC in the Home district and placed in the identified shelter, examination of documents sent with the child for completeness will be done and a receiving order signed and given to the escort/s.
 - (d) Thereafter the CWC will process for restoration/rehabilitation/reintegration, in coordination with the DCPU, as laid down in the JJ Act and Rules for children in need of Care and Protection.
 - (e) Once restored/reintegrated, consistent and periodic follow up must be maintained for three years by the CWC through the DCPU.
- **D2. INTER STATE TRANSFER:** In case of inter-state transfer, the same procedure as for transfer within the State will be followed except that in this case, the receiving CWC could be either the CWC of the home district of the child or the CWC of the capital city of that State, as convenient to the sending district.
- (a) In case the child is received by the CWC of the capital city of the home State, it would approach the CWC of the home district to verify details provided by the child. In case it is established that the child belongs to the State, the CWC of the capital city will inform the sending CWC and prepare to receive the child.
- (b) After the child is received by the CWC in the capital city of the State and in case the child belongs to another district, the process for inter district transfer as detailed in D1 above, should be followed.
- (c) In the case of children rescued from labour, the State Resident Labour Commissioner and Labour Department in receiving district should be coordinated with for inquiry into family whereabouts and subsequent restoration to family if found suitable. Rehabilitation should include educational rehabilitation in special schools under National Child Labour Project if available in the Home district or special bridge course centres under SSA in other districts and economic measures for their families through linkages with other Schemes.

D3. TRANSFER OF A CHILD FROM ONE CHILD CARE INSTITUTION TO ANOTHER WITHIN THE DISTRICT:

There should be a clear transfer order justifying decision, enclosing documents mentioned above in D1 and based on the individual care plan and counseling/medical reports. In case the transfer is being done for treatment purpose only, tentative date of return to the sending home should also be clearly indicated based on doctor's recommendation.

D4. INTER-COUNTRY TRANSFER: REPATRIATION – Being finalized in consultation with MEA.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1520]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2015/आषाढ़ 26, 1937
No. 1520]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2015/ASADHA 26, 1937

महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2015

का.आ. 1945(अ).— केंद्रीय सरकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 41 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों के अनुसरण में और बालकों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालकों के दत्तक-ग्रहण का विनियमन करने के लिए केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करती है, अर्थात् : ---

बालकों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015

टिप्पण -

- (1) ये मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित में समर्थित हैं:
 - (क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और उसके अधीन विरचित नियम;
 - (ख) स्टीफेनी जॉन बेकर बनाम राज्य और अन्य (वर्ष 2013 की सिविल अपील संख्या 1053) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का तारीख 08.02.2013 का निर्णय;
 - (ग) वर्ष 1982 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 1171 में एल.के पांडे बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय;
 - (घ) बालक के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1989;
 - (ङ) बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993।

(2) ये मार्गदर्शक सिद्धांत अधिसूचना की तारीख से देश में अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया को शासित करेंगे और बालकों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2011 को प्रतिस्थापित करेंगे।

बालकों के दत्तक- ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015

अध्याय – 1

आरंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को 'बालकों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015' कहा जाएगा।
 - (2) ये 01 अगस्त, 2015 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं :- इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (1) "अधिनियम" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 अभिप्रेत है;
- (2) "परित्यक्त" से ऐसा संगहीन या अभित्यक्त बालक अभिप्रेत है जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा सम्यक् जांच के पश्चात् परित्यक्त घोषित किया गया है :
- (3) "दत्तक-ग्रहण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों के साथ अपने दत्तक माता या पिता का विधिपूर्ण पुत्र बन जाता है, जो जैव बालक से जुडें होते हैं;
- (4) "प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण" से ऐसा कोई विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण अभिप्रेत है जो उस देश के किसी नागरिक द्वारा किसी भारतीय बालक के दत्तक-ग्रहण संबंधी सभी मामलों में समन्वयन करने के लिए उस देश के संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत है;
- (5) "बालक का सर्वोत्तम हित" से बालक के संबंध में, उसके आधारिक अधिकारों और आवश्यकताओं, पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास के पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी विनिश्चय का आधार अभिप्रेत है;
- (6) "बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति" से दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम को सुकर बनाने और उसकी मानीटरी करने के लिए ई-गवर्नेंस पद्धति अभिप्रेत है;
- (7) "बाल देखरेख कॉरपस" से विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा रखी जा रही कॉरपस निधि अभिप्रेत है जिसमें बाल देखरेख और दत्तक-ग्रहण संबंधी व्ययों के लिए दत्तक माता या पिता द्वारा अंशदान दिया जाता है;
- (8) "केंद्रीय प्राधिकरण" से बाल संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 के अधीन उस रूप में मान्यताप्राप्त सरकारी विभाग अभिप्रेत है ;
- (9) "न्यायालय" से ऐसा कोई सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसे दत्तक-ग्रहण के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है और जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय भी है;
- (10) 'बालक का दत्तक-ग्रहण के लिए वैध रूप से स्वतंत्र होना'' से बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक-ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक अभिप्रेत है;
- (11) ''बालक अध्ययन रिपोर्ट'' से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसमें अनुसूची-2 में उपबंधित फार्मेट के अनुसार बालक के जन्म की तारीख और सामाजिक पृष्ठभूमि सहित उसका ब्यौरा अंतर्विष्ट होता है ;
- (12) "बाल कल्याण समिति" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (13) "जिला बालक संरक्षण एकक" से अधिनियम की धारा 62क के अधीन राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर स्थापित एकक अभिप्रेत है;

- (14) "हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय" से बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 अभिप्रेत है ;
- (15) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से दत्तक माता या पिता के ब्यौरे से युक्त ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत; पारिवारिक पृष्ठभूमि; घर का विवरण; जीवन स्तर; पित या पत्नी और अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच ससंगतता; स्वास्थ्य की स्थिति शामिल होती है:
- (16) "एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम" से केंद्रीय सरकार की बालकों के संरक्षण पर राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही स्कीम अभिप्रेत है :
- (17) "देश के भीतर दत्तकग्रहण" से भारत के नागरिक द्वारा बालक का दत्तक-ग्रहण अभिप्रेत है ;
- (18) "अंतर-देशीय दत्तकग्रहण" से किसी विदेशी भारतीय नागरिक द्वारा या किसी विदेशी राष्ट्रिक द्वारा बालक का दत्तक-ग्रहण अभिप्रेत है :
- (19) "स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट" से सम्यक रूप से अनुज्ञप्त चिकित्सक द्वारा अनुसूची-3 में उपबंधित फार्मेट में बालक की बाबत दी गई रिपोर्ट अभिप्रेत हैं :
- (20) "निराक्षेप प्रमाणपत्र" से केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसमें बालक को विदेशी या विदेशी भारतीय नागरिक या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता या पिता को दत्तक-ग्रहण में देने की अनुमति दी गई है ;
- (21) "अनिवासी भारतीय" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वर्तमान में एक से अधिक वर्ष से विदेश में रह रहा है :
- (22) "विदेशी भारतीय नागरिक" से नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7 (क) के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है; (टिप्पण: भारतीय मूल के ऐसे सभी विद्यमान कार्डधारक व्यक्ति जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 26011/4/98-एफ.I, तारीख 19 अगस्त, 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्टीकृत हैं, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 26011/01/2014-आई.सी. I, तारीख 09 जनवरी, 2015 के अनुसार कार्डधारक विदेशी भारतीय नागरिक माने जाएंगे।)
- (23) "अनाथ" से ऐसा बालक अभिप्रेत है.--
 - (i) जिसके माता या पिता अथवा विधिक संरक्षक नहीं है ; या
 - (ii) जिसके माता या पिता अथवा विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है ;
- (24) "भावी दत्तक माता या पिता" से अधिनियम और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अधीन बालक के दत्तक-ग्रहण के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों अभिप्रेत हैं ;
- (25) "लंबित दत्तक-ग्रहण" से दत्तक-ग्रहण मामले अभिप्रेत हैं, जो भावी दत्तक माता या पिता दत्तक-ग्रहण के लिए पहले से ही रिजस्ट्रीकृत हैं या जिन्होंने विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता के अवसान, निलंबन अथवा प्रत्याहरण से पहले विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण से बालक के रेफरल को स्वीकार कर लिया हो;
- (26) "दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख" से ऐसा प्रक्रम अभिप्रेत है जिसमें न्यायालय से दत्तक-ग्रहण आदेश लंबित होने पर, किसी बालक की अभिरक्षा भावी दत्तक माता या पिता को दे दी जाती है :
- (27) "निवासी भारतीय" से भारत में रह रहा भारतीय नागरिक अभिप्रेत है:
- (28) "नियम" से अधिनियम की धारा 68 के अधीन अधिसचित नियम अभिप्रेत हैं ;
- (29) "अनुसूची" से इन मार्गदर्शक सिद्धांतों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (30) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है :

- (31) "विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण" से बालकों के दत्तक-ग्रहण में रखने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा 4 के अधीन मान्यताप्राप्त अभिकरण अभिप्रेत है ;
- (32) "राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण" से एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित अभिकरण अभिप्रेत है :
- (33) "अभ्यर्पित बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसका बाल कल्याण समिति की राय से माता या पिता अथवा विधिक संरक्षक द्वारा, ऐसे शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक कारकों के कारण, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, त्याग कर दिया गया है :
- (34) "सामाजिक कार्यकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिनके पास समाज कार्य, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, बाल विकास अथवा गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है, जिसे गृह अध्ययन रिपोर्ट, बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने, दत्तक-ग्रहण के पश्चात् सेवाएं प्रदान करने, और ऐसे व्यक्ति को समुनदेशित किसी अन्य कार्य को करने के लिए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा लगाया गया हो या जिला बाल संरक्षण एकक या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया हो :
- (35) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में प्रयुक्त हैं, परंतु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें नियत किए गए हैं।
- 3. दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले मूलभूत सिद्धांत भारत से बालकों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत होंगे, अर्थात्:-
 - (क) कोई भी दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया करते समय, बालक के सर्वोत्तम हितों का सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा ;
- (ख) यथासंभव, बालक के अपने समाज-सांस्कृतिक पर्यावरण में स्थापन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, बालक को भारतीय नागरिकों के साथ दत्तक-ग्रहण करने को वरीयता दी जाएगी।
- 4. दत्तक-ग्रहण के लिए पात्र बालक कोई भी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है, दत्तक-ग्रहण के लिए पात्र होगा।

5. भावी दत्तक माता या पिता हेतु पात्रता मानदंड -

- (क) भावी दत्तक माता या पिता को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से दूढ़; वित्तीय रूप से सक्षम; बालक का दत्तक-ग्रहण करने के लिए प्रेरित होना चाहिए; और उनकी जीवन को जोखिम में डालने वाली चिकित्सा स्थिति नहीं होनी चाहिए;
- (ख) कोई भी भावी दत्तक माता या पिता, उसकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना और भले ही उसका अपना जैव पुत्र या पुत्री हो अथवा नहीं हो, बालक का दत्तक-ग्रहण कर सकता है ;
- (ग) एकल महिला किसी भी लिंग के बालक के दत्तक-ग्रहण के लिए पात्र है।
- (घ) कोई एकल पुरुष अभिववाक किसी बालिका के दत्तक-ग्रहण के लिए पात्र नहीं है।
- (ड.) दंपत्ति की दशा में, पति-पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक हो।
- (च) किसी भी बालक को एक दंपत्ति को तब तक दत्तक-ग्रहण में नहीं दिया जाएगा जब तक कि उन्होंने स्थायी वैवाहिक संबंधों के कम से कम दो वर्ष पूरे न कर लिए हों।
- (छ) पात्रता विनिश्चित करने के लिए भावी दत्तक माता या पिता की आयु की गणना रजिस्ट्रीकरण की तारीख को की जाएगी और विभिन्न आयु वर्ग के बालको के लिए भावी दत्तक माता या पिता की पात्रता निम्नानुसार होगी:-

बालक की आयु	भावी दत्तक माता या पिता की अधिकतम संयुक्त आयु	एकल भावी दत्तक माता या पिता की अधिकतम आयु
4 वर्ष तक	90 वर्ष	45 वर्ष
4 वर्ष से 8 वर्ष तक	100 वर्ष	50 वर्ष
8 वर्ष से 18 वर्ष तक	110 वर्ष	55 वर्ष

- (ज) बालक और भावी दत्तक माता या पिता में से प्रत्येक की आयु में न्यूनतम अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ;
- (झ) पात्रता के लिए आयु भावी दत्तक माता या पिता के रजिस्ट्रीकरण की तारीख को मानी जाएगी;
- चार से अधिक बालकों वाले दंपतियों पर दत्तक-ग्रहण के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

अध्याय - 2

दत्तक-ग्रहण के लिए बालकों से संबंधित प्रक्रिया

6. अनाथ या परित्यक्त बालक से संबंधित प्रक्रिया :-

- (1) अनाथ या परित्यक्त बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र विनिश्चित करने की प्रकिया से संबंधित उपबंध अधिनियम की धारा 32, 33, 39 और 41 के साथ-साथ इसके अधीन बनाए गए नियमों के ससंगत उपबंधों में अधिकथित किए गए हैं।
- (2) बाल कल्याण सिमिति के आवेष्टन के बिना यदि सीधे विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा कोई परित्यक्त बालक प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे बालक को रिपोर्ट के साथ, जिसमें बालक के ब्यौरे और फोटो के अलावा वे परिस्थितियां, जिनमें बालक को प्राप्त किया गया, सिम्मिलित हों, चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ कर) बाल कल्याण सिमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्रति उसी समयाविध में स्थानीय पुलिस स्टेशन को प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) बाल कल्याण समिति, जांच लंबित होने पर, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार बालक की अंतरिम देखरेख के लिए आदेश जारी करेगी।
- (4) बालक के प्रवेश पर, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को प्राप्त करने के बहत्तर घंटों के भीतर विहित प्रपत्र में बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर उसका ब्यौरा एवं फोटो ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाएगा, परंतु यह कि इसके लिए बाल कल्याण समिति की अनुमित प्राप्त कर ली गई हो और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर बालक के फोटो को प्रत्येक छह माह पर बदला जाएगा।
- (5) जैव माता या पिता अथवा विधिक संरक्षक(कों) का पता लगाने के लिए जिला बाल संरक्षण एकक बालक को प्राप्त करने के बहत्तर घंटों के भीतर व्यापक परिचालन वाले राज्य स्तरीय समाचार पत्र में परित्यक्त बालक की विशिष्टियाँ और फोटो का विज्ञापन देगा।
- (6) अन्य राज्यों से बालक के स्थानांतरण की दशा में, विज्ञापन ऐसे स्थान से प्रकाशित किया जाए जहां बालक प्रारंभ में पाया गया था।
- (7) जहां कहीं, जिला बाल संरक्षण एकक क्रियाशील नहीं हैं, वहाँ ऐसा विज्ञापन संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट जारी कराएगा ।
- (8) विज्ञापन पर होने वाला व्यय समेकित बाल संरक्षण स्कीम की निधि से वहन किया जा सकता है।
- (9) उप-पैरा (5) और (8) में उल्लिखित प्रयासों के बावजूद भी, यदि जैव माता या पिता अथवा विधिक संरक्षकों का पता नहीं चलता है, तो जिला बाल संरक्षण एकक, तदनुसार, बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिन के भीतर बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (10) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के तीस दिन के तुरंत बाद बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या किसी व्यक्ति ने बालक का दावा करने का प्रयत्न किया है और उस रिपोर्ट में अंतरिम देखरेख के दौरान बालक द्वारा प्रकट की गई कोई भी सूचना सम्मिलित हैं।

- (11) यदि विशिष्ट बालक दत्तक-ग्रहण अभिकरण या बाल कल्याण समिति द्वारा अनुस्मारकों के बावजूद भी स्थानीय पुलिस से जैव माता या पिता अथवा विधिक संरक्षकों का अनुमार्गणीय न होने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो परित्यक्त बालक की आयु दो वर्ष से कम होने की दशा में, दो मास की समाप्ति के बाद और यदि परित्यक्त बालक की आयु दो वर्ष से अधिक होने की दशा में, चार मास की समाप्ति के बाद, यह मान लिया जाएगा कि रिपोर्ट दे दी गई है।
- (12) बाल कल्याण समिति, अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के बाद, अनुसूची-1 में दिए गए फार्मेट में परित्यक्त या अनाथ बालक को विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगी और ऐसा आदेश बाल कल्याण समिति के किन्हीं दो सदस्यों के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा ऐसा आदेश दो वर्ष तक की आयु के बालक की दशा में बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को पेश करने की तारीख से दो मास की अविधि के भीतर और दो वर्ष से अधिक आयु के बालक की दशा में चार मास की अविधि के भीतर जारी किया जाएगा।
- (13) अधिनियम की धारा 33 के अधीन जांच और अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा 4 के अधीन बाल कल्याण समिति द्वारा परित्यक्त या अनाथ बालक को विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का आदेश उसी जिले में पूरा किया जाएगा, जिसमें प्रारंभ में बालक पाया गया था।
- (14) अनाथ या परित्यक्त बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट क्रमश: अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के फार्मेट में तैयार की जाएगी और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से दस दिन के भीतर बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डाल दी जाएगी।
- (15) बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अंग्रेजी में (स्थानीय भाषा के अलावा) उपलब्ध कराई जाएगी।
- (16) यदि विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण किसी तकनीकी कठिनाई का सामना कर रहा होता है तो जिला बाल संरक्षण एकक बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर अपलोड करने में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को सुकर बनाएगा।
- (17) बाल कल्याण समिति द्वारा मानसिक रूप से निशक्त माता या पिता के बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया जिला मजिस्टेट द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर होगी।

7. अभ्यर्पित बालक से संबंधित प्रक्रिया :-

- (1) अभ्यर्पित बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रकिया से संबंधित सुसंगत उपबंध अधिनियम की धारा 32, 33, 39 और 41 और इसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित किए गए हैं।
- (2) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को प्राप्त करने के बहत्तर घंटों के भीतर बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर उसका ब्यौरा और फोटो ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाएगा।
- (3) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा मामले की किसी अन्य विनिर्दिष्ट सूचना के साथ-साथ बाल कल्याण समिति को निम्नलिखित सूचना दी जाएगी:-
 - (क) जन्म के रिकार्ड या प्रमाण पत्र के साथ, यदि उपलब्ध हो, बालक का नाम, जन्म की तारीख अथवा आयु और जन्म का स्थान;
 - (ख) जैव माता या पिता अथवा यदि अभ्यर्पित करने वाले माता या पिता अवयस्क हैं तो साथ आने वाले वयस्क का नाम, पता और पहचान का सबूत;
 - (ग) जैव माता या पिता के निकट संबंधियों का ब्यौरा, यदि उपलब्ध हो;
 - (घ) भाई-बहन (भाईयों-बहनों) का ब्यौरा, यदि कोई हो;
 - (ङ) बालक और जैव माता या पिता(ओं) का चलन चिकित्सा इतिहास;
 - (च) बालक की परिस्थितियां, जिनमें अभ्यर्पण के कारण और सामाजिक पृष्ठभूमि।
- (4) जैव माता या पिता द्वारा अभ्यर्पण को हतोत्साहित करने के लिए, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण या बाल कल्याण समिति माता या पिता द्वारा बालक को रखने की संभावना खोजने के प्रयास करेगी, जिनमें बालक को रखने के लिए माता या पिता को परामर्श देना और प्रोत्साहित करना और यह स्पष्ट करना कि अभ्यर्पण की प्रक्रिया अप्रतिसंहरणीय होती है, अंतर्विष्ट होगा।

- (5) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण और बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण करने वाले माता या पिता अथवा विधिक संरक्षक को अवगत कराएगी कि वे अभ्यर्पण की तारीख से केवल साठ दिन की अविध के भीतर ही बच्चे का पुन: दावा कर सकते हैं।
- (6) यदि अभ्यर्पण अपरिहार्य है, तो अनुसूची-4 में यथा उपबंधित अभ्यर्पण विलेख बाल कल्याण समिति के किसी दो सदस्यों की उपस्थिति में निष्पादित किया जाएगा:

परंतु यह कि अभ्यर्पित करने वाले माता या पिता एक अविवाहित माता है, विलेख का निष्पादन बाल कल्याण समिति के किसी एक सदस्य, अधिमानत: महिला सदस्य की उपस्थिति में निष्पादित किया जाएगा ।

- (7) यदि विवाहित दंपित से जन्मे बालक का अभ्यर्पण किया जाता है, तो माता-पिता दोनों अभ्यर्पण विलेख पर हस्ताक्षर करेंगे और यदि दोनों में किसी एक की मृत्यु हो गई होती है तो मृत्यु का सबूत प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- (8) यदि विवाहित दंपित से जन्मे बालक का अभ्यर्पण जैव माता या पिता द्वारा किया जाना है और दूसरे माता या पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो बालक को परित्यक्त माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया पैरा 6 के अनुसार की जाएगी।
- (9) विवाह से परे जन्मे बालक की दशा में, केवल माँ ही बालक को अभ्यर्पित कर सकती है । यदि माँ अवयस्क है, तो अभ्यर्पण विलेख पर साथ आने वाले वयस्क द्वारा गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
- (10) यदि अभ्यर्पण जैव माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, बालक को परित्यक्त माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया पैरा 6 के अनुसार की जाएगी।
- (11) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण और बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण विलेख की एक प्रति अभ्यर्पण करने वाले माता या पिता अथवा व्यक्ति को दी जाए ।
- (12) अभ्यर्पण प्रक्रिया में शामिल प्राधिकारियों और अभिकरणों द्वारा अभ्यर्पण करने वाले माता या पिता और अभ्यर्पित बालक की निजता का उचित सम्मान करना चाहिए।
- (13) यदि पुनर्विचार अविध के दौरान अभ्यर्पण करने वाले जैव माता या पिता बालक को वापस लेने का दावा नहीं करते हैं, तो अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन पूरे होने पर विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी जाएगी।
- (14) अभ्यर्पित बालक की दशा में कोई भी सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।
- (15) बाल कल्याण समिति, अभ्यर्पण की तारीख से 60 दिन की अवधि के अवसान पर अनुसूची-1 के फार्मेट में अभ्यर्पित बालक को विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करते हुए किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश जारी करेगी। जैव माता या पिता के लिए पुनर्विचार की अवधि अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (5) में नियत की गई है और अभ्यर्पित करने वाले माता या पिता को कोई और सुचना जारी नहीं की जाएगी।
- (16) अभ्यर्पित बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के फार्मेट में तैयार की जाएगी और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से दस दिन के भीतर बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डाल दी जाएगी।
- (17) बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अंग्रेजी में (स्थानीय भाषा के अलावा) उपलब्ध कराई जाएगी। यदि विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होता है, तो जिला बाल संरक्षण एकक बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर अपलोड करने में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को सुकर बनाएगा।

8. दत्तक-ग्रहण के लिए बालक की उपलब्धता :-

(1) बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को जैसे ही दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाता है, तो ऐसे बालक को भारतीय निवासी अथवा अनिवासी भारतीय माता या पिता को दत्तक-ग्रहण में देने की अनुमति दी जाए :

परंतु ऐसे बालक को अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण में भी दिया जाना अनुज्ञेय होगा –

(क) साठ दिन के बाद, यदि बालक पांच वर्ष से कम आयु का है;

- (ख) तीस दिन के बाद, यदि बालक पांच वर्ष से अधिक आयु का है अथवा भाई-बहन है;
- (ग) पंद्रह दिन के बाद, यदि बालक में कोई मानसिक अथवा शारीरिक निशक्तता है।

अध्याय - 3

निवासी भारतीयों के लिए दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया

9. भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन :-

- (1) प्रत्येक निवासी भारतीय भावी दत्तक माता या पिता, जो बालक के दत्तक-ग्रहण का इरादा रखते हैं, अनुसूची-5 में यथा उपबंधित आवेदन भरकर बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर रजिस्ट्रीकरण करेगा और सुसंगत दस्तावेज अपलोड करेगा।
- (2) बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर पूर्णरूप से भरा हुआ आवेदन और अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण पूरा होगा और तुरंत ही भावी दत्तक माता या पिता की पुष्टि की जाएगी।
- (3) भावी दत्तक माता या पिता को अभिस्वीकृति पर्ची से उनकी रिजस्ट्रीकरण संख्या मिलेगी और वे अपने मामले की प्रगति को देखने के लिए इसका उपयोग करेंगे।
- (4) भावी दत्तक माता या पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट उस राज्य के, जिसमें भावी दत्तक माता या पिता रह रहे हैं, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा यथास्थिति अपने सामाजिक कार्यकर्ता या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बाल संरक्षण एकक, द्वारा रखे जा रहे पैनल माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार कराई जाएगी।
- (5) गृह अध्ययन रिपोर्ट अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अनुसूची 6 में दिए गए फार्मेट में पुरी की जाएगी और उसके बाद शीघ्र ही भावी दत्तक माता या पिता के साथ बांटी जाएगी ।
- (6) गृह अध्ययन रिपोर्ट, जैसे ही पूरी होती है, यथास्थिति शीघ्र ही विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा जिला बाल संरक्षण एकक, द्वारा बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डाली जाएगी।
- (7) गृह अध्ययन रिपोर्ट दो वर्ष तक विधिमान्य रहेगी और भावी दत्तक माता या पिता द्वारा देश में कहीं से भी बालक के दत्तक-ग्रहण का आधार होगी।
- (8) भावी दत्तक माता या पिता को गृह अध्ययन रिपोर्ट और समर्थक दस्तावेजों के आधार पर विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा पात्र और उपयुक्त घोषित किया जाएगा और यदि किसी भावी दत्तक माता या पिता को पात्र और उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है, तो इसके कारणों को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रिकार्ड किया जाएगा।
- (9) भावी दत्तक माता या पिता अस्वीकृति के विनिश्चय के विरुद्ध केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं।
- (10) उप–पैरा (9) में निर्दिष्ट अपील का निपटारा पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा और इस संबंध में केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का विनिश्चिय बाध्यकारी होगा ।
- (11) जिला बाल संरक्षण एकक भावी दत्तक माता या पिता के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करने, दस्तावेजों को अपलोड करने और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के सामने आ रही तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने में भी सुकर बनाएगा।

परंतु यह कि भावी दत्तक माता या पिता द्वारा बालक का दत्तकग्रहण, उनका रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद, उपयुक्त बालक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

10. भावी दत्तक माता या पिता द्वारा बालक का चयन :-

- (1) भावी दत्तक माता या पिता की ज्येष्ठता बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर रजिस्ट्रीकरण की तारीख से होगी।
- (2) ज्येष्ठता के आधार पर, भावी दत्तक माता या पिता को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली के माध्यम से एक या एक से अधिक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण में छह बालकों तक के, वरीयताक्रम में यदि कोई हो, फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अवलोकन करने का अवसर दिया जाएगा।

- (3) बालक अथवा बालकों की फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, भावी दत्तक माता या पिता अड़तालीस घंटों के भीतर संभावित दत्तक-ग्रहण के लिए एक बच्चे को उपलभ्य कर सकते हैं और शेष बच्चों को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली के माध्यम से प्रतीक्षा सूची में अन्य भावी दत्तक माता या पिता के लिए निर्मुक्त कर दिया जाएगा।
- (4) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली साइट से निर्दिष्ट भावी दत्तक माता या पिता का ब्यौरा प्राप्त करेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण सिमित, जिसमें अभिकरण के दत्तक-ग्रहण प्रभारी अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, शिशुरोग विशेषज्ञ अथवा अतिथि चिकित्सक और जिला बाल संरक्षण एकक का एक पदधारी शामिल होगा, द्वारा भावी दत्तक माता या पिता की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए भावी दत्तक माता या पिता के साथ भेंट नियत करेगा।
- (5) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता की बालक के साथ बैठक भी आयोजित करेगा ।
- (6) मिलान की पूर्ण प्रक्रिया बालक को आरक्षित करने की तारीख से अधिकतम पंद्रह दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
- (7) बालक को स्वीकार करते समय भावी दत्तक माता या पिता विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मुख्य कृत्यकारी की उपस्थिति में बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (8) यदि, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की दत्तक समिति द्वारा भावी दत्तक माता या पिता को बालक के लिए नहीं चुना जाता है, तो भावी दत्तक माता या पिता के नहीं चुने जाने के कारणों को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रिकार्ड किया जाएगा।
- (9) यदि भावी दत्तक माता या पिता उपलभ्य किए गए बालकों में से किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं अथवा विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता को उपयुक्त नहीं पाता है, तब भावी दत्तक माता या पिता उस तारीख की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे आ जाएंगे, उन्हें नया मौका दिया जाएगा जब उनकी ज्येष्ठता आएगी और तत्पश्चात् के मौकों पर भी वही प्रक्रिया अनुसरित की जाएगी।
- (10) भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्ट्रीकरण दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।
- (11) भावी दत्तक माता या पिता बालक की स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा अपनी पसंद के चिकित्सा व्यवसायी से भी करा सकते हैं ।
- (12) यदि भावी दत्तक माता या पिता दिखाए गए बालकों में से किसी एक बालक को चुनते हैं, वे बालक को बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके स्वीकार करेंगे, जिसे बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली से डाउनलोड किया जा सकता है और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता की स्वीकृति को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रिकार्ड करेगा।

11. दत्तक-ग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख :-

भावी दत्तक माता या पिता द्वारा बालक की स्वीकृति की तारीख से दस दिन के भीतर, अनुसूची-7 में उपबंधित फार्मेट में दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाएगा ।

12. विधिक प्रक्रिया -

- (1) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण अधिनियम के अधीन आवश्यक दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए भावी दत्तक माता या पिता द्वारा स्वीकृति की तारीख से सात दिन के भीतर न्यायालय में, जिसका उस स्थान पर अधिकारिता है जहां पर विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण स्थित है, याचिका दायर करेगा।
- (2) यदि बालक किसी ऐसे बाल गृह से हैं जो दूसरे जिले में स्थित है, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण उस जिले के संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करेगा।
 - (3) दत्तक-ग्रहण याचिका में अनुसूची- 8 के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे।
- (4) न्यायालय बंद कमरे में दत्तक-ग्रहण पर कार्यवाही करेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा याचिका दायर करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करेगा।

- (5) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तक-ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा और इसे भावी दत्तक माता या पिता को दस दिन के भीतर अग्रेषित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डालेगा और बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सुचना और मार्गदर्शक प्रणाली में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।
 - (6) दत्तक-ग्रहण विलेख का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है।
- (7) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक-ग्रहण आदेश जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से, माता या पिता के रूप में दत्तक माता या पिता के नाम और दत्तक-ग्रहण आदेश में यथा रिकार्ड की गई जन्म की तारीख के साथ, बालक का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

13. दत्तक-ग्रहण किए गए बालक की प्रगति का अनुवर्तन :-

- (1) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता के साथ दत्तक-पूर्व पोषण स्थापन की तारीख से दो वर्ष तक छमाही आधार पर बालक के फोटो के साथ अनुसूची–11 में उपबंधित फार्मेट में बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में बालक की प्रगति ऑनलाइन रिपोर्ट करेगा।
- (2) यदि बालक को दत्तक माता या पिता के साथ समायोजन में कोई समस्या होती है, तो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण ऐसे दत्तक माता या पिता और दत्तक बालक के आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करेगा और यदि ऐसे परामर्श के प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण बालक को आनुकल्पिक देखरेख में अस्थायी रूप से रखने के प्रयास करेगा।

14. दत्तक-ग्रहण अवकाश :-

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों अथवा केंद्र या राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में कार्यरत दत्तक माता या पिता दत्तक बालक की उचित देखरेख के लिए संबंधित सरकार अथवा प्राधिकरण के अनुदेशों के विस्तार तक अवकाश के हकदार होंगे और इस सुविधा के लाभ दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख की अवस्था से ही उपलब्ध होंगे।

अध्याय - 4

अनिवासी भारतीयों, विदेशी भारतीय नागरिकों और विदेशी भावी दत्तक माता या पिता के लिए दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया

15. अनिवासी भारतीयों को निवासी भारतीयों के समान मानना :-

अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता या पिता को भारतीय अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालकों के दत्तक-ग्रहण के लिए प्राथमिकता के निबंधनों के अनुसार भारत में रह रहे भारतीयों के समान माना जाएगा।

- 16. अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्ट्रीकरण और उनके लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट :-
- (1) कोई भी अनिवासी भारतीय, विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी भावी दत्तक माता या पिता, जो एक ऐसे देश में रहते हैं, जो हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश है, और भारतीय बालक के दत्तक-ग्रहण के इच्छुक हैं, वे यथास्थिति, अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने और अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए संबद्ध प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
- (2) यदि, उनके निवास करने वाले देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, तब भावी दत्तक माता या पिता इस प्रयोजन के लिए उस देश के संबद्ध सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करेंगे।
- (3) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबद्ध सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनियक मिशन, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी हो जाने के बाद, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुसूची-5 में उल्लिखित फार्मेट में बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में भावी दत्तक माता या पिता के आवेदन का रजिस्ट्रीकरण करेंगे।
- (4) भावी दत्तक माता या पिता की ज्येष्ठता बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण की तारीख से होगी।
- (5) भावी दत्तक माता या पिता की पात्रता अथवा उपयुक्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से, इस अध्याय में निर्दिष्ट उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

- (6) दो बालकों तक की विशिष्टियाँ, यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग या भारतीय राजनियक मिशन को भेजी जाएगी, जो ऐसी विशिष्टियों को स्थानीय नियमों के अनुसार संबंधित भावी दत्तक माता या पिता को अग्रेषित करेंगे। विदेशी और विदेशी भारतीय नागरिक के मामले में, बालकों की ऐसी विशिष्टियाँ भावी माता या पिता को भेजी जाएंगी।
- (7) भावी दत्तक माता या पिता छियानवे घंटे के भीतर निर्देष्ट बालकों में से एक बालक को उपलभ्य करेंगे और दूसरे बालक की विशिष्टि स्वत: वापस ली गई मान ली जाएगी।
- (8) यदि भावी दत्तक माता या पिता छियानवे घंटे के भीतर संदर्भित बालकों में से किसी भी बालक को आरक्षित करने में असफल रहते हैं, तब दोनों बालकों की विशिष्टियाँ अपने आप वापस ली गई मान ली जाएंगी।
 - (9) जहां तक संभव हो, भावी दत्तक माता या पिता को रैफरल भेजते समय, उनके विचार को ध्यान में रखा जाएगा।
- (10) यदि भावी दत्तक माता या पिता दिखाए गए बालकों में से एक को चुनते हैं, उन्हें रैफरल की तारीख से तीस दिन के भीतर बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके बालक को स्वीकार करना होगा।
- (11) बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और फोटो की मूल प्रति विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या भारतीय राजनयिक मिशन को भेजी जाएगी।
- (12) यदि भावी दत्तक माता या पिता तीस दिन के भीतर निर्दिष्ट बालको में से किसी भी बालक को स्वीकार करने में असफल रहते हैं, तब दोनों बालकों की विशिष्टियाँ बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में वापस ली गई मान ली जाएंगी और भावी दत्तक माता या पिता की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे आ जाएगी, जिन्हें बालक का चयन करने का दूसरा अवसर जब उनकी बारी आएगी, तब दिया जाएगा:

परंतु यह कि ऐसे भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्ट्रीकरण उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष तक जारी रहेगा ।

- (13) यदि भावी दत्तक माता या पिता बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए स्वीकार करने से पहले उससे विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण में व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो ऐसी मुलाकात केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा उनका दत्तक-ग्रहण आवेदन अनुमोदित होने के बाद ही की जा सकती है और भावी दत्तक माता या पिता बच्चे की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा अपनी पसंद के चिकित्सा व्यवसायी से करा सकते हैं।
- (14) प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता या पिता के दस्तावेजों की मूल प्रति, अनुसूची-8 में यथा विनिर्दिष्ट, संबंधित विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को अग्रेषित करेगा।

17. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का निरापेक्ष प्रमाण-पत्र और दत्तक-ग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख :-

- (1) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भावी दत्तक माता या पिता द्वारा बालक की स्वीकृति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर अनुसूची-9 के फार्मेट में प्रस्तावित दत्तक-ग्रहण के पक्ष में निरापेक्ष प्रमाण-पत्र और जहां कहीं लागू हो, हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश का अनुमोदन/अनुज्ञा पत्र जारी करेगा और ऐसे निरापेक्ष प्रमाणपत्र की एक प्रति सभी संबंधितों को पृष्ठांकित की जाएगी और बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डाली जाएगी।
- (2) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से निरापेक्ष प्रमाणपत्र जारी होने के बाद, न्यायालय आदेश लंबित रहते, भावी दत्तक माता या पिता अनुसूची-7 के फार्मेट में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को वचनबंध देकर भारत में दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख के लिए बालक को ले जा सकते हैं।

18. विधिक प्रक्रिया -

- (1) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए भावी दत्तक माता या पिता द्वारा बालक की स्वीकृति की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर अनुसूची- 8 में यथा उल्लिखित सुसंगत दस्तावेजों के साथ सक्षम न्यायालय में आवेदन दाखिल करेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण आवेदन के साथ दस्तावेजों को मूल रूप में संलग्न करेगा।
- (2) यदि बालक किसी ऐसी बाल देखरेख संस्था से है जो दूसरे जिले में स्थित है, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण उस जिले के संबंधित न्यायालय में दत्तक-ग्रहण याचिका दाखिल करेगा।

- (3) न्यायालय बंद कमरे में दत्तक-ग्रहण पर कार्यवाही करेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा याचिका दाखिल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर मामले को निपटाएगा।
- (4) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण न्यायालय से दत्तक-ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डालने और आवश्यक प्रविष्टियां करने के अलावा इसे भावी दत्तक माता या पिता को दस दिन के भीतर अगेषित करेगा।
 - (5) दत्तक-ग्रहण विलेख का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है।
- (6) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक-ग्रहण आदेश उपलब्ध होने की तारीख से दस दिन के भीतर जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से, माता या पिता के रूप में दत्तक माता या पिता के नाम और दत्तक-ग्रहण आदेश में यथा रिकार्ड की गई जन्म की तारीख के साथ, बालक का जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और भावी दत्तक माता या पिता को इसे मुहैया कराएगा।

19. पासपोर्ट और वीजा, आप्रवास प्राधिकारियों को सूचना, पुष्टि प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र आदि :-

- (1) यदि प्राप्तकर्ता देश हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश है, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में दत्तक-ग्रहण आदेश की उपलब्धता के तीन कार्य दिवस के भीतर अनुसूची-10 में यथा उपबंधित फार्मेट में हेग दत्तक-ग्रहण अभिसमय के अनुच्देद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (2) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण दत्तक-ग्रहण की पुष्टि के बारे में, यथास्थिति, संबद्ध आप्रवास प्राधिकारियों और विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय अथवा विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को सूचित करेगा।
- (3) दत्तक बालक के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक-ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (4) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण किए गए बालकों को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में विदेश मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग के तारीख 16 मई, 2013 के परिपत्र संख्या VI/401/2/3/2010; तारीख 08 जनवरी, 2015 के परिपत्र संख्या VI/401/2/3/2010 और समय-समय पर जारी ऐसे ही अन्य परिपत्रों के अनुसरण में, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर दत्तक बालक को पासपोर्ट जारी करेगा।
- (5) यदि भारत में स्थित उसके राजनियक मिशन द्वारा दत्तक बालक को भावी दत्तक माता या पिता की राष्ट्रीयता वाले देश का पासपोर्ट दिया गया है, तो, यथास्थिति, विदेशी क्षेत्रीय रिजस्ट्रीकरण कार्यालय अथवा विदेशी रिजस्ट्रीकरण कार्यालय भावी दत्तक माता या पिता द्वारा समर्थित दस्तावेजों के साथ वीजा हेतु ऑनलाइन अवेदन करने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर निकास वीजा जारी करेगा।
- (6) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त होने के दस दिन के भीतर भावी दत्तक माता या पिता के नाम और दत्तक-ग्रहण आदेश में यथा अभिलिखित जन्म की तारीख के साथ दत्तक बालक का जन्म प्रमाणपत्र भी प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से प्राप्त करेगा।
 - (7) दत्तक बालक विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड, यदि पात्र पाया जाता है, तो पाने का हकदार होगा।
 - (8) दत्तक माता या पिता दत्तक बालक को अपने देश ले जाने के लिए भारत आएंगे।

20. इस अध्याय के अधीन दत्तक बालक की प्रगति रिपोर्ट का अनुवर्तन :-

- (1) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या भारतीय राजनियक मिशन अथवा संबंधित सरकारी विभाग, प्राप्तकर्ता देश में दत्तक बालक के आगमन की तारीख से पहले वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर और दूसरे वर्ष के दौरान छमाही आधार पर बालक के फोटो के साथ दत्तक बालक की प्रगति अनुसूची-11 में उपबंधित फार्मेट में बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में ऑनलाइन रिपोर्ट करेगा।
- (2) यदि प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अथवा दत्तकग्रहण-पश्चात् गृह दौरों के दौरान प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबद्ध सरकारी विभाग को बालक की दत्तक माता या पिता के साथ समायोजन समस्या का पता चलता है, तो जहां कहीं लागू हो, दत्तक माता या पिता और दत्तक बालक के लिए आवश्यक परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।

- (3) यदि यह पाया जाता है कि बालक दत्तक परिवार में समायोजन करने में असमर्थ है अथवा दत्तक परिवार में बच्चे का बना रहना बच्चे के हित में नहीं है, तो, यथास्थिति, प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबद्ध सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन बालक को वापस ले लेगा और उसे आवश्यक परामर्श दिया जाएगा और भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के परामर्श से उसी देश में बालक को उपयुक्त अनुकल्पिक दत्तक-ग्रहण अथवा पोषण स्थापन में दिया जाएगा।
- (4) दत्तक परिवार में बालक की समायोजन समस्या की दशा में, बालक को उस देश की बाल संरक्षण सेवाओं के माध्यम से देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास का हकदार होगा ।
- (5) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबद्ध सरकारी विभाग, भारतीय दत्तक बालकों और उनके दत्तक माता या पिता का वार्षिक मिलन समारोह आयोजित करेगा और आयोजन की रिपोर्ट केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को भेजेगा और भारतीय राजनयिक मिशन ऐसे मिलन समारोहों में सहायता करेंगे।
- (6) भावी दत्तक माता या पिता इस बारे में एक वचन देगा कि वे, यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण, विदेशी केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबद्ध सरकारी विभाग के प्रतिनिधि को दत्तक माता या पिता/परिवार में बालक की प्रगति की जांच करने के लिए प्राप्तकर्ता देश में बालक के आगमन की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि तक वैयक्तिक मुलाकात की अनुमति देंगे।

21. विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या भारत में रह रहे विदेशी राष्ट्रिक द्वारा दत्तक-ग्रहण :-

- (1) यदि विदेशी भारतीय नागरिक या विदेशी राष्ट्रिक, जो एक ऐसे देश का नागरिक है जिसने हेग अभिसमय का अनुसमर्थन किया है, और भारत में एक वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा है, बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने के साथ-साथ अनुसूची-5 में यथा विनिर्दिष्टि विहित फार्मेट में ऑनलाइन आवेदन करेगा।
- (2) अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण अनुसूची-6 में दिए गए फार्मेट में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मामले को विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को भेजेगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण गृह अध्ययन रिपोर्ट को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में अपलोड करेगा।
 - (3) सभी अन्य प्रक्रियाएं पैरा 16 के उप-पैरा 6 से 14 और पैरा 17 से 19 के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी :
 - परंतु यह कि भावी दत्तक माता या पिता विनिर्दिष्टित किए गए बालकों में एक बालक को अड़तालीस घंटों के भीतर उपलभ्य करेंगे।

टिप्पण : उपरोक्त निर्दिष्ट पैराओं में उल्लिखित प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन की भूमिका विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा निभाई जाएगी।

- (4) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख की तारीख से पहले वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर और दूसरे वर्ष के दौरान छमाही आधार पर बालक के फोटो के साथ दत्तक बालक की प्रगति अनुसूची-11 में उपबंधित फार्मेट में बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में रिपोर्ट करेगा।
- (5) यदि प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अथवा दत्तकग्रहण-पश्चात् गृह निरीक्षणों के दौरान विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को बालक की दत्तक माता या पिता के साथ समायोजन समस्या का पता चलता है, तो जहां कहीं लागू हो, दत्तक माता या पिता और दत्तक बालक के लिए परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।
- (6) यदि अनुवर्तन के दौरान, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को यह पता चलता है कि बालक दत्तक परिवार के साथ समायोजन करने में असमर्थ है अथवा दत्तक परिवार में बालक का बना रहना बालक के हित में नहीं है, वह बालक को वापस ले लेगा और उसे आवश्यक परामर्श दिया जाएगा और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के परामर्श से बालक के उपयुक्त आनुकल्पिक दत्तक-ग्रहण अथवा पोषण स्थापन में देने की भी व्यवस्था करेगा।
 - (7) प्रस्तावित दत्तक-ग्रहण के पक्ष में भारत में संबंधित राजनयिक मिशन से निरापेक्ष प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।
- (8) संबंधित राजनयिक मिशन यह भी सुनिश्चित करेगा कि दत्तक बालक दत्तक डिक्री के बाद तुरंत ही अपने माता-पिता के देश की नागरिकता प्राप्त करता है और भावी दत्तक माता-पिता की राष्ट्रीयता के देश से बालक के पासपोर्ट की प्रति केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को अग्रेषित की जाएगी।
- (9) यथास्थिति, विदेशी भारतीय नागरिक अथवा भारत में रह रहे विदेशी दत्तक माता या पिता, इस प्रभाव का एक वचनबंध देंगे कि दत्तक-ग्रहण के बाद दो वर्ष पूरे होने से पहले यदि वे भारत के बाहर जाते हैं, वे अपनी गतिविधि के बारे में केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन

प्राधिकरण को सूचित करेंगे और अपना नया पता बताएंगे और केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को शेष अवधि के लिए अपनी दत्तकग्रहण-पश्चात प्रगति रिपोर्ट भेजना जारी रखेंगे।

- (10) भारत में रह रहे ऐसे भावी दत्तक माता या पिता को इस बारे में एक वचन देना होगा कि वे, यथास्थिति, दत्तक-ग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि तक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण या जिला बाल संरक्षण एकक या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधि को, वैयक्तिक मुलाकात की अनुमति देंगे।
- **22.** यदि भावी दत्तक माता या पिता में से कोई एक विदेशी है और दूसरा भारतीय है, तो यथास्थिति, ऐसे मामले को भारत में रह रहे अथवा विदेश में रह रहे भारतीयों के मामले के समान ही माना जाएगा।

23. भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया :-

- (1) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तक-ग्रहण की आवश्यक औपचारिकताएं प्रारंभ में उस देश की विधि और प्रक्रियाओं के अनुसार उसी देश में पूरी की जाएंगी।
- (2) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, प्राप्तकर्ता देश के रूप में भारत आ रहे बालकों के दत्तक-ग्रहण की दशा में, बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 5 और 17 के अधीन यथा अपेक्षित, अनुमोदन जारी करेगा।
- (3) यदि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किसी ऐसे बालक का दत्तक-ग्रहण किया जाता है जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, तब उस बालक के भारत आने के लिए भारतीय वीजा अपेक्षित होगा और वीजा आवेदन प्रस्तुत करने पर, संबंध देश में भारतीय मिशन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दत्तक-ग्रहण सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करके किया गया है, सभी सुसंगत दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रवेश वीजा जारी करेगा।
- (4) विदेश में दत्तक-ग्रहण किए गए बालक की आप्रवास अनुमित उस देश के भारतीय राजनियक मिशन के माध्यम से विदेशी प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।

अध्याय - 5

संबद्ध प्राधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका

24. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण -

- (1) कोई भी बाल देखरेख संस्था, जो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त करने का इरादा रखता है, निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ संबद्ध राज्य सरकार को आवेदन करेगी:
 - (क) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 12) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ;
 - (ख) संगम ज्ञापन, नियमों, विनियमों और उपविधियों की प्रति ;
 - (ग) बाल देखरेख संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति ;
 - (घ) प्रबंध समिति या कार्यकारिणी समिति या बोर्ड के सदस्यों की सूची यह दर्शाते हुए कि ऐसी समिति या बोर्ड के अधिकांश सदस्य भारतीय नागरिक हैं:
 - (ङ) गत तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखा सहित वार्षिक रिपोर्टें:
 - (च) अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों को दत्तक-ग्रहण में स्थापन करने के विनिश्चय के समर्थन में अभिकरण का संकल्प ;
 - (छ) सुसंगत नियमों और प्रवृत्त दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करने का वचनबंध ;
 - (ज) बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करने और ऐसा करने की आवश्यक सुविधा रखने का वचनबंध;
 - (झ) समर्थक दस्तावेज जो यह दर्शाते हों कि संगठन बाल संरक्षण और कल्याण के क्रियाकलापों में संलग्न रहा है;

- (ञ) संस्था में बालकों की सूची ; और
- (ट) वृत्तिक और बाल देखरेख कर्मचारियों की सूची।
- (2) राज्य सरकार, यदि बाल देखरेख संस्था इस प्रयोजन के लिए संचालित निरीक्षण के आधार पर विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के रूप में विचार करने के लिए उपयुक्त पाई जाती है, तो आवेदन की तारीख से तीन मास के भीतर बाल देखरेख संस्था को विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
- (3) यदि कोई संगठन संस्थागत देखरेख में अंतग्रस्त नहीं है लेकिन अपने पैनल पर प्रशिक्षित पोषण देखरेख कर्ताओं के माध्यम से शिशुओं और छोटे बालकों के लिए क्वालिटी गैर-संस्थागत देखरेख सुनिश्चित करने की क्षमता और विशेषज्ञता रखती है, राज्य सरकार ऐसे संगठन को भी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता दे सकती है।
- (4) विशेषज्ञ दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी, जब तक कि पैरा 26 में यथा उल्लिखित आधारों पर इस मान्यता का प्रतिसंहरण न कर लिया गया हो।

25. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता के नवीकरण के लिए मानदंड और प्रक्रिया:-

- (1) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता के नवीकरण के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित होंगे :-
 - (क) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण का दत्तक स्थानन में समाधानप्रद संपादन होना चाहिए ;
 - (ख) वह बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करता रहा हो और मार्गदर्शक सिद्धांतों में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के लिए विनिर्दिष्टित समय सीमा का पालन करता हो ;
 - (ग) उसने मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रावधानों के साथ-साथ राज्य सरकार या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण या केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों का भी अनुसरण किया हो ;
 - (घ) वह किसी कदाचार में संलिप्त न रहा हो;
 - (ङ) उसने बाल देखरेख कॉरपस का उचित उपयोग किया हो ; और
 - (च) उसने अनुसूची-12 में यथा उपबंधित बाल देखरेख मानकों को बनाए रखा हो।
- (2) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता के नवीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात् :विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण पैरा 24(1) में उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेजों या सूचना के साथ अपनी मान्यता समाप्त होने से छह मास पहले आवेदन करेगा:-
 - (क) पिछली मान्यता अवधि के दौरान जैव माता या पिता, नातेदारों अथवा संरक्षकों को लौटाए गए बालकों का ब्यौरा और उनकी संख्या ;
 - (ख) पिछली मान्यता अवधि के दौरान देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण में स्थानन किए गए बालकों की संख्या और उनका ब्यौरा और उनके दत्तक-पश्चात् अनुवर्तन का ब्यौरा ;
 - (ग) पिछली मान्यता अवधि के दौरान बाल देखरेख कॉरपस की प्राप्ति और उसके उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा ;
 - (घ) बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करने की घोषणा: और
- (ङ) यह कथित करते हुए वचनबंध कि वह इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ-साथ राज्य सरकार या राज्य दल्लक-ग्रहण संसाधन अभिकरण या केंद्रीय दल्लक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का पालन करने के लिए सहमत है।
 - (3) राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता (विद्यमान मान्यता समाप्त होने से पहले), इस प्रयोजन से संचालित किए गए निरीक्षण के आधार पर, पांच वर्ष की अविध के लिए नवीकृत की जाएगी, यदि विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण उपरोक्त उल्लिखित मानदंडों को पूरा करता है।

(4) यदि विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण ने मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है और उसे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे विशिष्ट दत्तक-ग्रहण की मान्यता को जारी माना जाएगा।

26. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता का निलंबन या प्रतिसंहरण :-

- (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से अथवा राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण या केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की सिफारिश पर, किसी भी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता को निलंबित या उसका प्रतिसंहरण कर सकती है।
- (2) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता को निम्नलिखित कारणों में किसी एक या अधिक कारणों से निलंबित किया जा सकता है अर्थात्:-
 - (क) दत्तक-ग्रहण से संबंधित अधिनियम के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ-साथ इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अतिक्रमण करना ;
 - (ख) राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण या संबंधित राज्य सरकार या केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को मिथ्या सूचना अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करना ;
 - (ग) बालक या दत्तक-ग्रहण से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के बारे में भावी दत्तक माता या पिता को अधूरी या मिथ्या सूचना देना ;
 - (घ) बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में आंकड़ों को ऑनलाइन अद्यतन करने में विफल रहना या उसमें गलत सूचना देना/ डालना;
 - (ङ) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा अनुबद्ध रिपोर्टों या आंकड़ों को समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहना ;
 - (च) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के कार्यकरण के बारे में, राज्य सरकार या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण के निरीक्षण दल अथवा केंद्रीय सरकार या केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के निरीक्षण दल के प्रतिकूल निष्कर्ष ;
 - (छ) यदि वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता और अर्हित बाल देखरेख कर्मचारी नियोजित नहीं किए गए हैं ;
 - (ज) वित्तीय अनियमितता या कदाचार अथवा भावी दत्तक माता या पिता या दत्तक माता या पिता से वस्तु अथवा नकदी के रूप में कोई दान प्राप्त करना ;
 - (झ) बाल देखरेख कॉरपस या सरकार से प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग अथवा उस प्रयोजन से जिसके लिए वे प्राप्त हुए थे, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
 - (ञ) अनैतिक पद्धतियां जिनमें एकल माताओं अथवा जैव माता या पिता को अपने बालकों का त्याग करने के लिए उत्प्रेरित करना और बालकों को अविधिमान्य रूप से प्राप्त करना भी शामिल है :
 - (ट) गोपनीयता का सिद्धांत का अतिक्रमण करते हुए जैव माता अथवा माता या पिता या दत्तक बालक के बारे में सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना :
 - (ठ) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करना ; और
 - (ड) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण में बच्चों का दुरुपयोग या उनकी उपेक्षा करना।
- (3) अभिकरण को उसका स्पष्टीकरण देने के लिए एक अवसर दिए बिना प्राधिकरण के निलंबन या प्रतिसंहरण का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।
- (4) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबन के बाद, संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण छह मास की अविधि के भीतर आवश्यक जांच कराएगा, और यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो संबंधित राज्य सरकार विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता का प्रतिसंहरण करेगी।

- (5) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता के प्रतिसंहरण की दशा में, संबद्ध राज्य सरकार, तीस दिन के भीतर, उस गृह के बालकों के लिए, बालकों को दूसरे विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण में स्थानांतरित करने सहित, आनुकल्पिक पुनर्वास योजना तैयार करेगी।
- (6) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबलन या प्रतिसंहरण की स्थिति में, उन मामलों को जिनमें भावी दत्तक माता या पिता द्वारा रैफरल स्वीकार कर लिए गए हैं, दत्तक-ग्रहण संपन्न करने के लिए अनुमित दी जाएगी परंतु यह कि इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के सभी अनुबद्ध शर्तें पूरी की गई हों।

27. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण का निरीक्षण :-

- (1) संबंधित राज्य सरकार बाल देखरेख संस्था को विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की मान्यता देने अथवा नवीकरण पर विचार करने से पहले उसका निरीक्षण करेगी।
- (2) संबद्ध राज्य सरकार अथवा राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण दक्षतापूर्वक और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा अधिकथित मानकों का पालन कर रहे हैं, उनका वार्षिक निरीक्षण संचालित करेंगे और जहां कहीं अपेक्षित हो, आवश्यक उपचारात्मक उपाय करेंगे।
- (3) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण का परिसर, उन स्थानों सहित जहां वालक रह रहे होते हैं, और उसके सुसंगत अभिलेख केंद्रीय सरकार, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, संबद्ध राज्य सरकार, राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, बाल कल्याण समिति और उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अभिकरण अथवा व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे।
- (4) ऐसे निरीक्षण के दौरान, निम्नलिखित की संवीक्षा अथवा परीक्षा की जाएगी, अर्थात :-
 - (क) कि अभिकरण इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा अनुबद्ध अपनी भूमिका का निर्वहन और अपने कार्यों का पालन दक्षतापूर्वक कर रहा है ;
 - (ख) कि दत्तक-ग्रहण को बालकों के हित में कल्याण क्रियाकलाप के रूप में संगठन द्वारा परिशीलन किया जा रहा है न कि वाणिज्यिक क्रियाकलाप के रूप में ;
 - (ग) देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण में वास्तव में स्थानन किए गए बालकों की कुल संख्या और ब्यौरा ;
 - (घ) बालकों के दत्तक-ग्रहण से संबंधित अभिलेख (उनके प्रवेश से लेकर विधिक दत्तक-ग्रहण डिक्री और अनुवर्ती प्रगति तक) के साथ-साथ संबंधित रजिस्टर :
 - (ङ) क्या बालकों के दत्तक-ग्रहण में स्थानन के लिए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा शीघ्र और पर्याप्त प्रयास किए गए हैं;
 - (च) क्या अभिकरण द्वारा भावी दत्तक माता या पिता की ज्येष्ठता सूची का रखरखाव और ज्येष्ठता सूची के अनुसार रोस्टर का अनुसरण किया जा रहा है ;
 - (छ) क्या अभिकरण ने नियमित रूप से और अनुबद्ध समय के भीतर संबद्ध राज्य सरकार या राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण को वार्षिक रिपोर्टें, खातों का लेखापरीक्षित विवरण और मासिक रिपोर्टें और राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण या संबद्ध राज्य सरकार या केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को मासिक दत्तक-ग्रहण आंकड़े प्रस्तुत किए हैं :
 - (ज) क्या विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में आंकड़ों और रिपोर्टों को नियमित रूप से अद्यतन कर रहा है ;
 - (झ) क्या विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के पास इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन यथा अनुबद्ध क्वालिटी बाल देखरेख सुविधाओं का रखरखाव कर रहा है और उन्हें प्रदान कर रहा है और बाल देखरेख के न्यूनतम मानक अनुसूची-12 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे ;
 - (অ) बाल देखरेख कॉरपस में अंशदान और उसके उपयोग सहित वित्तीय अभिलेख;
 - (ट) क्या विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के विरुद्ध कदाचार का कोई वाद है।

28. एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम के अधीन अनुदान की हकदारी :-

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अधीन विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण को, उक्त स्कीम के अधीन निबंधन और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, सहायतानुदान प्राप्त करने का हक है।

29. लेखाओं के रखरखाव के लिए अभिकरण :-

- (1) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण अनुसूची-13 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार बाल देखरेख कॉरपस में उपलब्ध निधि का उपयोग करेगा।
- (2) विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण बाल देखरेख कॉरपस और समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अधीन सरकारी अनुदान के उपयोग सहित लेखाओं का उचित रखरखाव करेगा जिनकी लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा की जाएगी।
- (3) संगठन की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति के साथ इसके लेखा परीक्षित खातों की अनुप्रमाणित प्रति और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की रिपोर्ट भी प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण और संबद्ध राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

30. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के कृत्य :-

विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तक ग्रहण में स्थानन को सुकर बनाने के लिए इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:

- (1) बालकों के प्रति कृत्य प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण -
- (क) यथास्थिति, इसके प्रभार में रह रहे प्रत्येक बालक की देखरेख, संरक्षण और कल्याण के लिए उत्तरदायी होगा और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं; भावात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा; फुरसत और आमोद-प्रमोद संबंधी क्रियाकलापों का प्रबंध करेगा; किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा, समाज की मुख्यधारा से जोड़ेगा और प्रत्यावर्तन करेगा, अनुवर्तन करेगा;
- (ख) प्रवेश, प्रत्यावर्तन, स्थानांतरण, बालकों की मृत्यु और दत्तक-ग्रहण के सभी मामलों के अलावा संस्था से गुम हुए बच्चों के बारे में, यदि कोई हो, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण एकक, राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण और केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली और ट्रैक चाइल्ड के माध्यम से रिपोर्ट करेगा;
- (ग) प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक की प्रास्थिति को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर प्रस्तुत करेगा, जो www.adoptionindia.nic.in वेबसाइट पर सुगम है;
- (घ) सभी अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की बालक अध्ययन रिपोर्ट अपने सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से तैयार कराएगा और उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बालकों को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से सात दिन के भीतर बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डालेगा;
- (ङ) अपने बाल चिकित्सक या चिकित्सक के माध्यम से ऐसे सभी बालकों की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट तैयार कराएगा और उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बालकों को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से सात दिन के भीतर बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर डालेगा;
 - (च) बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत और वरीयता के निम्नलिखित क्रम में देखरेख के विकल्पों अर्थात्
 - (i) जैव परिवार और विधिक संरक्षक से प्रत्यावर्तन :
 - (ii) देश के भीतर दत्तक-ग्रहण;
 - (iii) अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण:
 - (iv) पोषण देखरेख ; और
 - (v) संस्थागत देखरेख।

का अनुसरण कर प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करेगा ;

- (छ) स्मृति एलबम तैयार करेगा, जिसमें बालक की फोटो एलबम, बालकों के जीवन का इतिवृत्त और ब्यौरा (अभ्यपर्ण करने वाले माता या पिता के ब्यौरा का उल्लेख न किया जाए) और बालक की अभिरूचि शामिल की जाए, जिसे दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में भावी दत्तक माता या पिता को बालक को सौंपते समय बालक के चिकित्सीय इतिवृत्त के साथ साथ दत्तक परिवार को सौंपा जाएगा;
- (ज) ऐसे प्रत्येक बालक के दत्तक-ग्रहण में स्थानन का प्रयास करेगा, जिसे बाल कल्याण सिमिति द्वारा दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया हो ;
- (झ) भावी दत्तक माता या पिता को बालक के रैफरल और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा उपबंधित दत्तक-ग्रहण से संबंधित विधिक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगा ;
- (ञ) प्रत्येक दत्तक-ग्रहण योग्य बालक को दत्तक परिवार को अपनाने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करेगा ,
- (ट) भावी दत्तक माता या पिता के साथ बच्चे के संवाद, जहां कहीं अपेक्षित हो, को सुकर बनाएगा ;
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि जुड़वां बालकों अथवा भाई-बहन का, जहां तक संभव हो, एक ही परिवार में स्थानन हो ;
- (ड) 🛮 दत्तक-ग्रहण के अभिलेख को इस प्रकार से परिरक्षित रखेगा कि ऐसे अभिलेख तक केवल प्राधिकृत व्यक्ति की ही पहुंच हो ;
- (ढ) पैरा 45 में यथा उल्लिखित रीति से दत्तकों द्वारा अपने मूल परिवार की खोज को सुकर बनाएगा।

(2) जैव माता या पिता के प्रति कृत्य - प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण -

- (क) अभ्यर्पित बच्चे के माता या पिता के साथ पूरी दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया के दौरान सम्मान और गरिमा के साथ बरताव करेगा ;
- (ख) अविवाहित माँ और जैव माता या पिता की गोपनीयता बनाए रखेगा ;
- (ग) अभ्यर्पण करने वाले माता या पिता को परामर्श देगा और उन्हें भविष्य में उनके बालक द्वारा मूल परिवार की खोज की संभावना के बारे में बताएगा:
- (घ) अभ्यर्पण करने वाले माता या पिता को उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ-साथ बच्चे की पृष्ठभूमि और विकास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करेगा ;
- (ङ) माता या पिता को अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण की संभावना सहित अभ्यपर्ण की विवक्षा के बारे में बताएगा ;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यपर्ण और दत्तक-ग्रहण हेतु माता या पिता द्वारा सहमित किसी प्रपीड़न अथवा आर्थिक या भौतिक प्रतिफल के बिना दी गई है;
- (छ) बालक के जन्म से पहले बालक के दत्तक-ग्रहण के संबंध में जैव माता या पिता के साथ कोई वचनबद्धता या करार नहीं करेगा ;
- (ज) माता या पिता को सूचित करेगा कि उनके पास अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन की पुनर्विचारण अवधि होगी जिसके दौरान वे बालक को वापस ले जा सकते हैं ।

(3) भावी दत्तक माता या पिता के प्रति कृत्य – प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण -

- (क) भावी दत्तक माता या पिता के साथ सम्मान के साथ बरताव करेगा और सम्यक शिष्टाचार, सहायता और सलाह देगा ;
- (ख) भावी दत्तक माता या पिता को, यदि उनके सामने कोई किठनाई आ रही है, तो बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर रजिस्ट्रीकरण करने में सहायता करेगा ;
- (ग) भावी दत्तक माता या पिता को दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने और उसके लिए उनकी तैयारी का स्तर अभिनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता अथवा सलाहकार के माध्यम से परामर्श देगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा. अर्थात :-

- (i) अपने वंश को बनाए रखने के लिए एक अनुकल्पिक तरीके के रूप में दत्तक-ग्रहण की स्वीकृति ;
- (ii) दत्तक-ग्रहण किए जाने वाले बालक के लिए अधिमान ;
- (iii) ऐसे बालक को दत्तक लेने के लिए भावात्मक तैयारी, जो उनका रिश्तेदार नहीं है;
- (iv) बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और आनुवंशिक कारकों के बारे में सरोकार;
- (v) पालन-पोषण और अनुशासन के प्रति रुख;
- (vi) बालक को दत्तक-ग्रहण के तथ्य की जानकारी देना, जब वह बड़ा हो जाए;
- (vii) दत्तक बालक द्वारा मूल परिवार की खोज पर व्यवहार करना, जब वह बड़ा हो जाए;
- (viii) कोई अन्य विवाधक, जो पारस्परिक संवाद के दौरान उठ सकता है।
- (घ) उनके पास रजिस्ट्रीकृत भावी दत्तक माता या पिता की, उनके रजिस्ट्रीकरण और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास के भीतर, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी करेगा;
- (ङ) भावी दत्तक माता या पिता के आवेदन की प्रास्थिति को बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर निरंतर अद्यतन करेगा ;
- (च) भावी दत्तक माता या पिता को बालक की वीडियो क्लिप प्रदान करेगा और रैफरल के बाद बालक के साथ उनके वीडियो कॉल को सकर बनाएगा ;
- (छ) भावी दत्तक माता या पिता को बालक के चिकित्सीय इतिवृत्त के बारे में जानकारी देगा, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक के स्वास्थ्य की प्रतिस्थिति के बारे में भावी दत्तक माता या पिता को जानकारी देगा यदि ऐसा कोई बालक दत्तक-ग्रहण के लिए प्रस्तावित है;
- (ज) बालक की खाद्य और सामाजिक आदतों सहित उससे संबंधित प्रतिरक्षण अभिलेख और हाल की नैदानिक रिपोर्टों के साथ-साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना, स्मृति एलबम भावी दत्तक माता या पिता को प्रदान करेगा ;
- (झ) न्यायालय से दत्तक-ग्रहण आदेश की एक प्रति और जन्म प्रमाणपत्र अथवा शपथपत्र, जब कभी उपलब्ध हो, भी भावी दत्तक माता या पिता को प्रदान किया जाएगा ;
- (ञ) रैफरल पूरा होने पर और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा अभिकथित आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद बालक को दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में रखेगा ;
- (ट) भावी दत्तक माता या पिता को, यदि अपेक्षित हो, परामर्श सहित दत्तकग्रहण-पश्चात् सेवाएं प्रदान करेगा ;
- (ठ) अनुसूची-13 में यथा विनिर्दिष्ट भगतान के अलावा, कोई भगतान प्राप्त नहीं करेगा ;
- (इ) दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया समझने के लिए भावी दत्तक माता या पिता को दत्तक परिवारों से संपर्क करने की सलाह देगा।
- (4) परामर्श से संबंधित कृत्य :- विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के परामर्श से संबंधित कृत्यों में निम्नलिखित कृत्य शामिल होंगे :-
 - (i) अभ्यर्पण की दशा में जैव माता या पिता को परामर्श;
 - (ii) भावी दत्तक माता या पिता को दत्तकग्रहण-पूर्व परामर्श;
 - (iii) अधिक आयु के बालकों को दत्तक-ग्रहण से पहले और दत्तक-ग्रहण के दौरान परामर्श;
 - (iv) दत्तक बालकों को दत्तक-पश्चात परामर्श, जब उनके द्वारा अपने मूल परिवार की खोज में संपर्क किया जाता है।
- (5) प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण परित्यक्त बालकों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों, अस्पतालों, परिचर्या गृहों, अल्पावास एवं स्वाधार गृहों और अपने स्वयं के गृह में शिशु पालना स्थल स्थापित करेगा।

(6) प्रलेखीकरण और अभिलेख अनुरक्षण :-

- (क) प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण प्रत्येक बालक के लिए आयु और निम्नलिखित से संबंधित लिंग विशिष्ट जरूरतों के आधार पर 'व्यक्तिगत देखरेख योजना' तैयार करेगा अर्थात्-
 - (i) स्वास्थ्य और चिकित्सा जरूरतें ;
 - (ii) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतें;
 - (iii) शैक्षिक और प्रशिक्षण जरूरतें ;
 - (iv) फुरसत, सृजनात्मकता और खेल;
 - (v) लगाव और नातेदारी;
 - (vi) सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और बुरे वर्ताव से संरक्षण ;
 - (vii) परिवार के साथ पुनर्मिलन, दत्तक-ग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत देखरेख सहित पुनर्वास ;
 - (viii) समाज की मुख्यधारा से जोड़ना ; और
 - (ix) पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के बाद अनुवर्तन ।
 - (ख) प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण प्रत्येक बच्चे की केस फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा, अर्थात्
 - (i) बालक का मामला इतिवृत्त और सामाजिक जांच रिपोर्ट ;
 - (ii) अंतरिम देखरेख आदेश के साथ-साथ बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का आदेश और बालक को त्यागने के मामले में अभ्यपर्ण विलेख;
 - (iii) बालक की बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और प्रतिरक्षण अभिलेख ;
 - (iv) प्रत्येक छह मास के अंतराल पर लिए गए बच्चे की फोटो ;
 - (v) भावी दत्तक माता या पिता का आवेदन प्रपत्र, दस्तावेज़ और गृह अध्ययन रिपोर्ट;
 - (vi) दत्तक-ग्रहण याचिका, दत्तक-ग्रहण आदेश और बालक का जन्म प्रमाणपत्र;
 - (vii) बालक की स्थानन पश्चात् प्रगति रिपोर्टे ।
 - (ग) प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण निम्नलिखित अभिलेख रखेगा, अर्थात् :-
 - (i) मास्टर प्रवेश रजिस्टर ;
 - (ii) बालक की चिकित्सा और विकास फाइल ;
 - (iii) बालक की केस फाइल;
 - (iv) बालकों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर;
 - (v) ब्यौरे के साथ भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्टर (रजिस्ट्रीकरण की तारीख, गृह अध्ययन रिपोर्ट की तारीख, बालक अथवा बालकों के रैफरल की तारीख (तारीखें), न्यायालय के आदेश की तारीख, भावी दत्तक माता या पिता को बालक सौंपने की तारीख, आदि):
 - (vi) वाउचर्स, रोकड़ बही, खाता, जरनल और वार्षिक लेखे;
 - (vii) अनुदान उपयोग रजिस्टर;
 - (viii) स्टॉक रजिस्टर ; और

- (ix) प्रबंधन समिति और दत्तक-ग्रहण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख (अलग-अलग रखा जाए)।
- (7) अन्य कृत्य : प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण निम्नलिखित कृत्य भी करेगा :
 - (1) दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण और अभिसंस्करण क्रियाकलापों का आयोजन;
 - (2) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में अपने बाल देखरेख और वृत्तिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

31. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण के कृत्य :-

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात :

- (1) भारत से बालक का दत्तक-ग्रहण करने की अभिरूचि रखने वाले भावी दत्तक माता या पिता का रजिस्ट्रीकरण करना और शीघ्र उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी करना ;
- (2) बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली में भावी दत्तक माता या पिता के दत्तक-ग्रहण आवेदन की अनुप्रमाणित प्रतियां डालना और उसकी मूल प्रति आबंटित विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को अग्रेषित करना;
- (3) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से दत्तक-ग्रहण हेतु निरापेक्ष प्रमाण-पत्र मिलने के बाद शीघ्र दत्तक-ग्रहण सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के साथ अनुवर्तन करना;
- (4) दत्तक बालक जिस स्थान का रहने वाला है, उस स्थान की संस्कृति अथवा भाषा अथवा खाद्य का अभिसंस्करण भावी दत्तक माता या पिता को देना ;
- (5) दत्तक-ग्रहण किए गए बालक की प्रगति के दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन की प्रस्तुति सुनिश्चित करना और पैरा 20 में यथा उल्लिखित भंग के मामलों का निपटान करना :
- (6) संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन की अंतर्गस्तता से समय-समय पर भारतीय मूल के बालकों और उनके दत्तक परिवारों के सम्मिलन समारोहों का आयोजन करना ;
- (7) दत्तक-ग्रहण किए गए बड़े बालकों की अपने मूल परिवार की खोज में सहायता करना ;
- (8) मेजबान देश की विधिक अपेक्षाओं के साथ-साथ केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकार की निबंधनों और शर्तों को पूरा करना।

32. विदेशी अभिकरण के प्राधिकरण के मानदंड और प्रक्रिया :-

- (1) भारतीय बालक का दत्तक-ग्रहण करने के लिए विदेशी भावी माता या पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने के इच्छुक विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण उस देश के केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबद्ध सरकारी विभाग की सिफारिश के साथ भारतीय राजनियक मिशन के माध्यम से केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को आवेदन करेगा।
- (2) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जाएंगे, अर्थात् :-
 - (क) ज्ञापन अथवा उपविधियां, रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति की प्रतियां, अंतरराष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण कराने के लिए संबद्ध सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम अनुज्ञप्ति, बोर्ड या कार्यकारी सदस्यों की सूची, उन देशों की सूची जिनके साथ वह कार्य कर रहा है, प्रत्यायन प्रमाण-पत्र, और पिछले दो वर्षों की इसकी वार्षिक रिपोर्टें और लेखापरीक्षित खाते;
 - (ख) यह कथित करते हुए कि अभिकरण इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन का संगठन के प्रमुख अथवा मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक वचनबंध ;
 - (ग) अभिकरण द्वारा एक वचनबंध कि अवरोध वाले या दत्तक बालकों के संप्रत्यावर्तन की दशा में, वह इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में अधिकथित विशिष्ट प्रावधानों का पालन करेगा ;
 - (घ) भारत से दत्तक-ग्रहण में स्थानन किए गए बालकों की प्रास्थिति पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को वार्षिक रिपोर्ट भेजने का अभिकरण द्वारा वचनबंध ;

- (ङ) उनके देश की दत्तक-ग्रहण विधि या दत्तक-ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांतों या दत्तक-ग्रहण नियमों की प्रति ;
- (च) अभिकरण के कर्मचारिवृंद की सूची, भारत में कार्य करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश/अनुमोदन;
- (छ) विदेश में भारतीय राजनयिक मिशन और प्राप्तकर्ता देश के केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग से सिफारिश पत्र ।
- (3) संबंधित भारतीय राजनियक मिशन के माध्यम से ऐसे प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण से आवेदन तथा केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग द्वारा इसके लिए सिफारिश प्राप्त होने पर केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा पांच साल के लिए नवीकरण के अध्यधीन रहते हुए विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण को प्राधिकृत किया जा सकता है । आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए
 - (क) ऐसे प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण के माध्यम से दत्तक-ग्रहण में बालकों की नागरिकता की प्रास्थिति के साथ उनके स्थानन की सूची ; और
 - (ख) अवरोध, यदि कोई हो।
- (4) प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण की दशा में, दत्तक-ग्रहण मामलों को सुकर बनाने के लिए भारत में एक प्रतिनिधि की नियुक्ति अपेक्षित होगी, जिसके लिए केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

33. प्राधिकरण का निलंबन या प्रतिसंहरण :-

वे आधार जिन पर प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण के प्राधिकरण का प्रतिसंहरण किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

- (क) यदि अभिकरण इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है ;
- (ख) यदि अभिकरण की अनुज्ञप्ति या मान्यता या प्रत्यायन उस देश के समुचित प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दी जाती है या उसका प्रतिसंहरण कर दिया जाता है ;
- (ग) यदि अभिकरण समय-समय पर बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली पर दत्तक-ग्रहण के आवेदनों या दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्ती रिपोर्टों को अपलोड नहीं करता है और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

34. राज्य सरकार और राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण की भूमिका :-

- (1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के क्रियान्यन के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के समायोजन से दत्तक-ग्रहण और गैर-संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देने और उनका मानीटर करने के लिए राज्य में नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के लिए एक राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण की स्थापना करना।
 - (2) राज्य सरकार अथवा राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण की दत्तक-ग्रहण में निम्नलिखित भूमिका होगी, अर्थात् :-
 - (क) राज्य में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम को बढ़ावा देना, मानीटर करना और विनियमन करना ;
 - (ख) सभी बाल गृहों को अधिनियम के अधीन बाल देखरेख संस्थाओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण करना ;
 - (ग) प्रत्येक जिले में इन बाल देखरेख संस्थाओं में से एक या अधिक संस्थाओं को विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करना ;
 - (घ) वर्ष में कम से कम एक बार दल्लक-ग्रहण अभिकरणों का संपर्क ब्यौरा प्रकाशित करना ;
 - (ङ) ऐसे विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के संतोषजनक अनुपालन के अध्यधीन प्रत्येक पांच वर्ष पर रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण: